Telephone : 23007257 Fax No. : 23014903

DHRD/76102/DRDS/CR&RR/C/M/01

Government of India Ministry of Defence
Defence Research & Development Organisation
Directorate of Human Resource Development
DRDO Bhawan, 'B' Wing
New Delhi-110011

DR Jun 2023

Го,	
	The Director,
	(All Labs/Establishments/Units)

Sub: DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE (DRDS) RULES, 2023

- It is intimated that the Defence Research and Development Service Rules, 2023 have since been published in the Gazette of India vide S.R.O. No. 72 dated 25 May 2023.
- A copy of the published S.R.O. (both English and Hindi versions) is uploaded on DRONA for information of all concerned.

(Pankaj Srivastava) . Deputy Director (HRD)

Encls: As above

Copy to :-

Secretary Department of Defence R&D and Chairman DRDO, All Director General Clusters (DRDO), DOP, CAO-A1(B), Leader/Secretary Staff Side/All JCM Members, DRONA, Min of Def/D (R&D), Min of Def (Fin/R&D), New Delhi



सी.जी.-डी.एल.-सा.-07062023-246322 CG-DL-W-07062023-246322

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 10]

नई दिल्ली, मई 28—जून 3, 2023, शनिवार/ जयेष्ठ 7—जयेष्ठ 13, 1945

No. 10] NEW DELHI, MAY 28—JUNE 3, 2023, SATURDAY/JYAISHTHA 7—JYAISHTHA 13, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2023

का.नि.आ. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3229 GI/2023 (155)

- 2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (1) "निर्धारण बोर्ड" से अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट गठित निर्धारण बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (2) *"अध्यक्ष, डीआरडीओ"* से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (3) *"अनुशासन"* से जिस विषय में वैज्ञानिकों का प्रोन्नति के लिए निर्धारण किया जाना अभिप्रेत है;
 - (4) *"कर्तव्य पद"* से अनुसूची 7 के अंतर्गत कोई स्थायी या अस्थायी पद अभिप्रेत है;
 - (5) "लचीली अनुपूरक स्कीम" से लचीली सम्पूरक योजना के अधीन संगठन में नियोजित वैज्ञानिकों के लिए योग्यता आधारित प्रोन्नति प्रणाली अभिप्रेत है;
 - (6) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;
 - (7) *"आंतरिक जांच सिमिति"* से वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'ई' की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट का मूल्यांकन करने हेतु अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट गठित आंतरिक जांच सिमिति अभिप्रेत है;
 - (8) "संगठन" से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अभिप्रेत है;
 - (9) "समकक्ष समिति" से प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने हेतु अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट गठित क्रमिक समकक्ष समिति अभिप्रेत है;
 - (10) "प्रारंभिक जांच समिति" से वैज्ञानिक 'एफ' या, यथास्थिति, वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'एच' की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट गठित क्रमिक प्रारंभिक जांच समिति अभिप्रेत है:
 - (11) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (12) "अनुसूचित जातियां" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियों के रूप में यथाअधिसूचित ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भीतर ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां या उनके भाग या समूह अभिप्रेत है;
 - (13) "अनुसूचित जनजातियां" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियों के रूप में यथाअधिसूचित ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदायों के भीतर ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या उनके भाग या समूह अभिप्रेत हैं;
 - (14) "भर्ती बोर्ड" से अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (15) "वैज्ञानिक अनुभव" से वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों या उद्योगों में आवश्यक क्षेत्रों में अनुसंधान या डिजाइन या विकास या उत्पादन में काम करने का अनुभव अभिप्रेत है;
 - (16) *"जांच समिति"* से वैज्ञानिक 'एफ' या, यथास्थिति, वैज्ञानिक 'जी' के साथ संपर्क बनाने के लिए अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट गठित क्रमिक जांच समिति अभिप्रेत है;
 - (17) "सेवा" से रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा अभिप्रेत है;
 - (18) *"अनुसंधान और विकास प्रबंध"* से परियोजना प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों या उद्योगों में संगठनात्मक विकास के क्षेत्रों में ज्येष्ठ स्तर पर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंध और समन्वय के लिए तकनीकी-प्रबंधकीय योग्यता अभिप्रेत है।

- 3. **रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा का गठन.**—(1) रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नाम से ज्ञात सेवा का गठन किया जाएगा, जो नियम 7 और नियम 8 के अधीन सेवा में नियुक्त वैज्ञानिकों से मिलकर बनेगी।
 - (2) इस सेवा के अंतर्गत सभी पद केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' पद के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- 4. श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन.—(1) सेवा के अंतर्गत पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट हैं।
 - (2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात्, विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।
 - (3) सरकार सेवा की संख्या को अस्थायी रूप से बढ़ा या घटा सकती है जिसके अंतर्गत संवर्गित वैज्ञानिक पद भी हैं, जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे।
 - (4) सरकार अनुसूची 7 में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकती है या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से निकाल सकती है।
 - (5) सरकार किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उप-नियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, उसे सेवा के समुचित श्रेणी में अस्थायी हैसियत या अधिष्ठायी हैसियत में जो वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।
- 5. **सेवा के सदस्य.**—(1) निम्नलिखित वैज्ञानिक सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर तथा ऐसी नियुक्ति की तारीख से नियम 7 में यथाविनिर्दिष्ट रक्षा मंत्रालय में सरकार के अधीन किसी स्थापन में, संगठन या संवर्गित वैज्ञानिक पदों में कार्यरत सेवा में नियुक्त वैज्ञानिक; और
 - (ख) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् कर्तव्य पद पर नियुक्त वैज्ञानिक उस तारीख से, जब से वे इस प्रकार नियुक्त किए गए हैं।
 - (2) उप-नियम (1) के खंड (ए) के अधीन नियुक्त वैज्ञानिक इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित तटस्थायी श्रेणी या पद में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।
 - (3) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त वैज्ञानिक ऐसी नियुक्ति की तारीख से, तटस्थायी श्रेणी या पद में सेवा का सदस्य होगा।
 - (4) उप-नियमों (1) से (3) तक के पूर्वाग्रह के बिना, सरकार, जब आवश्यक समझे, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को सलाहकारों या एमेरिटस वैज्ञानिकों के रूप में नियुक्त कर सकती है, जैसा प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर विनिश्चित की जाए।
- 6. भर्ती की पद्धित.—सेवा में भर्ती निम्नलिखित में से किसी पद्धित द्वारा की जाएगी, भर्ती की पद्धित का विनिश्चय प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा पद के कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित अर्हताओं के आलोक में किया जाएगा, अर्थात्:-
 - (1) पदोन्नति द्वाराः

- (2) अनुसूची 12 में यथाविनिर्दिष्ट खुले विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिभा खोज योजना या अनुसूची 11 में यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षणार्थी वैज्ञानिक योजना के माध्यम से;
- (3) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों से उपयुक्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, या भारत या विदेश के विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों. स्वायत्त संगठनों और अन्य गैर-सरकारी निकायों से अल्पकालिक संविदा पर:
- (4) सेना, नौसेना और वायु सेना से सांवधिक तैनाती पर उपयुक्त अधिकारियों की असैनिक हैसियत में पुनर्नियोजन द्वारा;
- (5) उपयुक्त अधिकारियों को आमेलन द्वारा जिन्हें खंड (3) में उल्लिखित भर्ती पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त किया गया था।
- 7. जारी रखने के लिए पिछली प्रदत्त सेवा का संरक्षण.- सेवा में नियुक्त और संगठन में कार्य कर रहे या रक्षा मंत्रालय में सरकार के किसी स्थापना में संवर्गित वैज्ञानिक पदों पर कार्य कर रहे सभी विद्यमान वैज्ञानिकों को नियमित आधार पर उनके तटस्थायी जो वह धारण कर रहे हैं उस पद या श्रेणी पर नियुक्त समझा जाएगा।
- 8. भविष्य में सेवा का अनुरक्षण.—(1) सेवा में प्राधिकृत संख्या के विरुद्ध रिक्तियों को निम्नलिखित रीति से भरा जाएगा, अर्थातु:-
 - (क) वैज्ञानिक 'बी' श्रेणी की पचासी प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा तथा पंद्रह प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- टिप्पण 1: कोई व्यक्ति जो तकनीकी अधिकारी 'ए' या तकनीकी अधिकारी 'बी' के पद पर धारण है और जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा है तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में निम्नतर श्रेणी में अन्य तकनीकी कार्मिक जिन्होंने दस साल नियमित सेवा की है और जो अनुसूची 8 में वैज्ञानिक 'बी' के पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो, उक्त विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जिसके लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं होगी।
- टिप्पण 2 : इस निमित्त सरकार द्वारा जब तक अन्यथा से विनिर्दिष्ट हो, तब तक किसी भी उम्मीदवार को उक्त विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में पांच से अधिक अवसरों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
 - (ख) वैज्ञानिक 'बी' के ऊपर के किसी भी उच्चतर पद को नियम 6 में उल्लिखित किसी भी रीति से भरा जाएगा, भर्ती की पद्धित प्रत्येक अवसर पर अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर और उस विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित अर्हताओं के आलोक में विनिश्चित की जाएगी सिवाय विशिष्ट वैज्ञानिक के जिसे प्रोन्नित द्वारा भरा जाएगा।
 - (ग) उन पदों के संबंध में जिनमें संसाधन और विकास अंतर्वलित है, चूंकि राज्य के हित और संगठन के उद्देश्य सर्वोपिर महत्वपूर्ण है, सरकार, पदधारी की अपेक्षित क्षमता, पूरा किए जाने वाले कार्य तथा सेवा और बाहर दोनों में व्यक्ति की उपलब्धता के साथ अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, पदों को भरने की पद्धति विनिश्चित करेगी।
 - (2) उप-नियम (1) के होते हुए भी, वैज्ञानिक 'बी' की श्रेणी में प्रति वर्ष पचास रिक्तियों के अनधिक को 'फेलोशिप स्कीम' के अधीन प्रशिक्षण के सफल समापन पर 'फेलो' की नियुक्ति से भरा जा सकेगा, जैसा कि अनुसूची 10 में यथा अधिकथित है।

- (3) प्रोन्नित: (क) विशिष्ट वैज्ञानिक के श्रेणी के सिवाय, सेवा में एक श्रेणी से अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित, लचीली पूरक योजना के तहत अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखने वाले अधिकारियों के बीच की जाएगी।
 - (ख) वैज्ञानिक 'एफ' के स्तर तक प्रोन्नति वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट के मूल्यांकन, निर्धारण बोर्ड द्वारा निर्धारण साक्षात्कार के बाद अनुसूची 4 के भाग ख में विनिर्दिष्ट समकक्ष समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी।
 - (ग) वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'जी' से वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) की प्रोन्नति अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट क्रमिक जांच समिति से बातचीत द्वारा तथा अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट समकक्ष समिति के निर्धारण से वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी।
 - (घ) वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) से विशिष्ट वैज्ञानिक की प्रोन्नति अनुसूची-2 के भाग-ख में यथाविनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'एच' के कार्य अंकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए गठित प्रारंभिक जांच समिति द्वारा कार्य अंकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत उन्नयन के अधीन और अनुसूची 4 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट समकक्ष समिति द्वारा निर्धारण से की जाएगी:

परंतु यह कि इस खंड के अधीन दी जाने वाली प्रोन्नति की संख्या उतनी होगी, जितनी केंद्र सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

- (4) क्रमशः अनुसूची 1 और 2 में यथाविनिर्दिष्ट आंतरिक जांच समिति और प्रारंभिक जांच समिति निम्नलिखित की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करेगी-
 - (i) वैज्ञानिक 'बी', तीन वर्ष की न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के पूरा होने पर;
 - (ii) वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी' और वैज्ञानिक 'ई', चार साल की न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के पूरा होने पर;
 - (iii) वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी', क्रमशः पाँच वर्ष और चार वर्ष की न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के पूरा होने पर; और
 - (iv) वैज्ञानिक 'एच', तीन वर्ष की न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि के पूरा होने पर,

उस वर्ष के 30 जून तक, जिससे निर्धारण बोर्ड या समकक्ष पुनर्विलोकन संबंधित है।

- (5) प्रोन्नति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए अनुसूची 6 में यथाविनिर्दिष्ट रेजिडेंसी अवधि वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट की ग्रेडिंग के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- (6) अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'ई' के लिए आंतरिक जांच समिति, अपना स्वयं का मानदंड विकसित करेगी तथा उसके क्रमिक कार्य अंकन रिपोर्ट में ग्रेडिंग के मूल्यांकन के पश्चात् वैज्ञानिकों को औसत अंक देगी जिससे निर्धारण बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों की पात्रता विनिश्चित की जा सकेगी।
- (7) अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'एफ' से वैज्ञानिक 'जी' के लिए प्रारंभिक जांच समिति अपना स्वयं का मानदंड विकसित करेगी तथा उसके क्रमिक कार्य अंकन रिपोर्ट में ग्रेडिंग के मूल्यांकन के पश्चात्

- वैज्ञानिकों को औसत अंक देगी जिससे क्रमिक जांच समिति द्वारा विचार करने के लिए अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों की पात्रता विनिश्चित की जा सकेगी।
- (8) अनुसूची-2 के भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट प्रारंभिक जांच समिति वैज्ञानिक 'एच' की सूची प्रदान करेगी जिन्होंने अनुसूची 4 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट समकक्ष समिति को वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में उनकी संबंधित ग्रेडिंग के साथ विशिष्ट वैज्ञानिक की श्रेणी में प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए विहित न्यूनतम रेजिडेंसी अविध पूरी कर ली है।
- (9) आंतरिक जांच समिति या, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच समिति निर्धारण के लिए वैज्ञानिकों की पात्रता विनिश्चित करते समय नीचे प्रगणित मानदंडों का पालन करेगी, अर्थात: -
 - (i) स्क्रीनिंग उच्च श्रेणी में पिछले पांच वर्षों से अनधिक की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट पर आधारित होगी;
 - (ii) वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'डी', जो औसतन सत्तर प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं और वैज्ञानिक 'ई' या उससे ऊपर जो पचहत्तर प्रतिशत के औसत से कम अंक प्राप्त करते हैं या जिनके पास पचास प्रतिशत से अधिक वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्टों में अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट विहित अंकों से कम है, ऐसे विचाराधीन मामले निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे;
 - (iii) पहली जुलाई के बाद पद ग्रहण करने वाले सीधे भर्ती या प्रोन्नत व्यक्तियों को उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए निर्धारण में पात्रता हेतु अर्हक सेवा में तीन महीने तक की छूट जाएगी;
 - (iv) किसी विशेष श्रेणी में प्रोन्नति हेतु निर्धारण के लिए पात्रता अवधारित करने के लिए रेजिडेंसी अविध की पूर्णता के लिए छुट्टी अविध की गणना अनुसूची 13 में यथाविनिर्दिष्ट होगी;
 - (v) अन्य वैज्ञानिक विभागों से सेवा में उसी श्रेणी में प्रतिनियुक्ति पर किसी वैज्ञानिक के स्थायी आमेलन के मामले में, जहां लचीली पूरक स्कीम लागू होती है, मूल विभाग जिसके अंतर्गत उस श्रेणी में उस वैज्ञानिक की पूरी सेवा रेजिडेंसी अवधि के लिए गिनी जाएगी;
 - (vi) यदि कोई अधिकारी सेवा में उच्चतर श्रेणी पर प्रतिनियुक्ति पर आता है और बाद में सेवा में उसी श्रेणी में स्थायी रूप से समाहित हो जाता है, तो प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत अवधि अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचारार्थ रेजिडेंसी अवधि के रूप में गिनी जाएगी;
 - (vii) तदर्थ नियुक्ति की निरंतरता में, सेवा में नियमित नियुक्ति पर, एक वैज्ञानिक के श्रेणी में तदर्थ क्षमता में प्रदान की गई सेवा की अविध रेजिडेंसी अविध के लिए गिनी जाएगी परंतु यह कि अधिकारी को पहले प्रयास में नियमित नियुक्ति के रूप में चयन किया गया हो;
 - (viii) इन नियमों में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, वैज्ञानिक 'एफ' को न्यूनतम रेजिडेंसी अविध एक वर्ष के लिए शिथिल की जा सकती है, परंतु यह कि वह उस श्रेणी में आनुक्रमिक चार वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में लगातार नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो।
 - (ix) इन नियमों में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'ई' को न्यूनतम रेजिडेंसी अविध एक वर्ष के लिए शिथिल की जा सकती है, परंतु यह

कि वह उस श्रेणी में आनुक्रमिक तीन वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में उसने लगातार नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो।

- (x) उपरोक्त खंड (viii) और (ix) के संदर्भ में न्यूनतम विहित रेजिडेंसी अविध में शिथिलता किसी भी वैज्ञानिक के पूर्ण कैरियर में दो बार तक सीमित होगी;
- (xi) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विनिश्चित किया गया है, क्रमिक श्रेणी में आज्ञापक प्रशिक्षण, यथास्थिति, वैज्ञानिकों की योग्यता विनिश्चित करने के लिए क्रमिक जांच समिति या निर्धारण बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।
- (10) (i) वैज्ञानिक 'सी' और उससे ऊपर के श्रेणी में वैज्ञानिक 'एफ' के स्तर तक प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए अनुसूची-3 में यथाविनिर्दिष्ट गठित निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और किसी भी समय विभिन्न स्टेशनों में एक से अधिक निर्धारण बोर्ड गठित किए जा सकते हैं।
 - (ii) अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट क्रमिक जांच समिति वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' के साथ प्रारंभिक जांच समिति की सिफारिश पर और कार्यात्मक क्षमता, कार्य आउटपुट और व्यक्तिगत विशेषताओं के मानदंडों के आधार पर बातचीत करेगी, ऐसी जांच समिति प्रत्येक वैज्ञानिक का अगले उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति के लिए निर्धारण करेगी और उन्हें ग्रेड देगी और उसके बाद जांच समिति एक सूची तैयार करेगी और इसे विचार और सिफारिश के लिए अनुसूची 4 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट समकक्ष समिति को प्रस्तुत करेगी।
 - (iii) अनुसूची 4 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट समकक्ष समिति वैज्ञानिकों की योग्यता, उपलब्धि, नवाचार, नेतृत्व और प्रबंधकीय गुणों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्रत्येक वैज्ञानिक की उपयुक्तता का निर्धारण सूची में करेगा तथा केन्द्रीय सरकार, इन वैज्ञानिकों के संबंध में सिफारिश करेगा जो अगले उच्चतर श्रेणी वैज्ञानिक 'जी' या, यथास्थिति, वैज्ञानिक 'जी' की प्रोन्नति के लिए उपयुक्त निर्णित हुए हैं।
- (11) निर्धारण बोर्ड या समकक्ष समिति को वर्ष में कम से कम एक बार या अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट अंतराल पर बुलाया जाएगा।
- (12) वैज्ञानिक 'एफ' के स्तर तक प्रोन्नति के लिए निर्धारण बोर्ड अभ्यर्थियों के निर्धारण के लिए अपने मानदंड तैयार करेगा और अनुसूची 4 के भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट समकक्ष समिति को वैज्ञानिक व्यष्टि को दिए गए ग्रेडिंग या अंक देगा, जो निर्धारण करेगा कि निर्धारण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई ग्रेडिंग, वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, योगदान और संभाव्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारण बोर्ड द्वारा अग्रेषित सूची में प्रत्येक वैज्ञानिक की उपयुक्तता, और 'प्रोन्नति के लिए फिट' या 'अभी फ़िट नहीं' या "फ़िटनेस को एक वर्ष के लिए आस्थिगत किया जाएगा" के रूप में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
- (13) वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) और विशिष्ट वैज्ञानिक के मामले सिवाय, जिन मामलों में प्रोन्नति की तारीख उपनियम (16) में यथाविनिर्दिष्ट, पीयर समिति की सिफारिशें उस वर्ष की पहली जुलाई से कार्यान्वित की जाएंगी, जिससे पीयर समिति संबंधित है और उस तारीख को प्रोन्नति के लिए स्वीकृत सभी वैज्ञानिकों के संबंध में उस श्रेणी में उनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए चयन की तारीख के रूप में माना जाएगा, परंतु यह कि वे उस तारीख को ड्यूटी पर हों:

परंतु यह कि जो वैज्ञानिक उस तारीख को छुट्टी पर हैं, जिस तारीख से वे काम पर लौटते हैं, उस तारीख की उस श्रेणी में कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिस श्रेणी में उन्हें प्रोन्नत किया गया है, लेकिन यह अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में उच्चतर श्रेणी को उसी समकक्ष समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए स्वीकृति के चयन की तारीख या उनकी परस्पर ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।

- (14) यदि किसी मामले में वैज्ञानिकों को निर्धारित किया जाता है और प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, परंतु अध्ययन छुट्टी (किसी अन्य छुट्टी के साथ संयुक्त) पर दूर रहने के कारण प्रभावी तारीख पर उच्चतर श्रेणी का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हैं, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतर अध्ययन के लिए स्वीकृत किया गया है या जो वृत्तिक और तकनीकी विषयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, जिसका संगठन के कार्यक्रमों के साथ सीधा या घनिष्ठ संबंध है, फिर से कार्यभार ग्रहण करने पर, वह अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने चयन की तारीख से उस श्रेणी में विचार के लिए रेजिडेंसी अवधि की गणना के प्रयोजनों हेतु उच्चतर श्रेणी में नेशनल ज्येष्ठता की गणना कर सकता है, परंतु अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अध्ययन या प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक के प्रदर्शन से संतुष्ट हो।
- (15) जहां तक विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वैज्ञानिकों का संबंध हैं (मूल नियम 51 के अधीन), उन्हें अगले उच्चतर श्रेणी में उस तारीख से प्रोन्नत किया जाएगा जिस तारीख से उन्हें प्रोन्नत किया जाना है, अगर वे प्रशिक्षण को आगे नहीं बढ़ाते और उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: अर्थात:-
 - (i) ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को मूल नियम 9 के उप-नियम (6) के खंड (ख) के अधीन कर्तव्य के रूप में माना जाएगा;
 - (ii) समकक्ष समिति द्वारा उनका निर्धारण किया गया है और अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है; और
 - (iii) विशेष श्रेणी में प्रोन्नति के लिए "अभी फिट नहीं" के रूप में सिफारिश के सिवाय सभी वरिष्ठों को उस श्रेणी में प्रोन्नत किया गया है।
- (16) वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) और विशिष्ट वैज्ञानिक के श्रेणी में प्रोन्नति सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के बाद पद प्रभार ग्रहण की तारीख से प्रभावी होगी।
- (17) लचीली पूरक स्कीम के अधीन, किसी वैज्ञानिक को एक श्रेणी से अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत करने पर, उसके द्वारा धारित पद स्वतः अपश्रेणी हो जाएगा और स्वस्थाने प्रोन्नति पद और प्रोन्नति की अवधि के लिए वैयक्तिक होगा और उक्त स्कीम रिक्ति और ज्येष्ठता पर आधारित नहीं है।
- (18) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'एच' के श्रेणी के लिए लचीली पूरक स्कीम के अधीन योग्यता आधारित प्रोन्नित या सरकार द्वारा विनिश्चित विशिष्ट वैज्ञानिक के श्रेणी में वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर विभिन्न श्रेणी पर पदों की संख्या भिन्न हो सकती है किसी शर्त के अध्यधीन वैज्ञानिक 'बी' से विशिष्ट वैज्ञानिक तक के पदों की कुल संख्या, संगठन के लिए प्राधिकृत वैज्ञानिकों के कुल स्थायी पदों से अधिक नहीं होगी।
- (19) सीधी भर्ती: (क) नियम 6 के उप-नियम (2) के तहत सीधी भर्ती द्वारा चयन, साक्षात्कार, या लिखित परीक्षा, या दोनों अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट गठित भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा और अभ्यर्थी अनुसूची 8 के खंड (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु-सीमा के भीतर होंगे।
 - (ख) इस उपनियम में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अधीन सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव अनुसूची 8 में यथाविनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार होंगे:

परंतु यह कि अनुसूची 8 के खंड (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आयु-सीमा नियम 6 के उप-नियम (1) और (3) से (5) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों द्वारा चयन पर लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता और अनुभव हेतु अपेक्षित विनिर्दिष्ट विषय समय-समय पर अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट हैं।

- (20) प्रितिनियुक्ति : (क) नियम 6 के उप-नियम (3) के अधीन प्रितिनियुक्ति द्वारा चयन, अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती बोर्ड द्वारा साक्षात्कार, या लिखित परीक्षा, या दोनों द्वारा और सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव, चयन का क्षेत्र और आयु इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट पद्धित के अधीन अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट हो।
 - (ख) नियम 6 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को आरंभ में तीन वर्ष की अविध के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विवेकानुसार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
 - (ग) जहां प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने या कम करने का प्रस्ताव किया जाता है, अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कारणों को लेखबद्ध करेंगे और संबद्ध अधिकारियों को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सुचना देंगे।
 - (घ) प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि उसी संगठन या विभाग में किसी नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और प्रतिनियुक्ति भत्ता प्रतिनियुक्ति के पहले चार वर्षों के लिए ही ग्राह्य होगा।
- (21) अल्पकालिक संविदाः (क) नियम 6 के उपनियम (3) के अधीन अल्पकालिक संविदा पर चयन अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट गठित भर्ती बोर्ड द्वारा साक्षात्कार, या लिखित परीक्षा, या दोनों द्वारा और शैक्षिक अर्हताएं अनुभव, चयन का क्षेत्र और सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आयु इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट पद्धित के अधीन जैसा अनुसूची 9 में यथाविनिर्दिष्ट हो।
 - (ख) नियम 6 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट पद्धित द्वारा अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त अधिकारियों को साधारणतया तीन वर्ष की अविध के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
 - (ग) जहां अल्पकालिक संविदा की अवधि को बढ़ाने या घटाने का प्रस्ताव है, अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कारणों को लेखबद्ध करेगा और संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा।
 - (घ) अल्पकालिक संविदा की अवधि तीन वर्ष की समाप्ति पर नवीकृत की जा सकती है तथा अल्पकालिक संविदा की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (22) **पुनर्नियोजन :** (क) सेना, नौसेना और वायु सेना से कार्याविधि तैनाती पर असैनिक क्षमता में पुनः नियोजन द्वारा उपयुक्त अधिकारियों के नियुक्ति का विनिश्चित अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया जाएगा।
 - (ख) नियम 6 के उप-नियम (4) के अधीन पुनर्नियोजन द्वारा चयन, अनुसूची V में विनिर्दिष्ट गठित भर्ती बोर्ड द्वारा साक्षात्कार, या लिखित परीक्षा, या दोनों द्वारा किया जाएगा और सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव, चयन का क्षेत्र और आयु इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अधीन जैसा अनुसूची 9 में यथाविनिर्दिष्ट है।

- (23) आमेलन: (क) नियम 6 के उप-नियम (5) के अधीन प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा चयन, अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट गठित भर्ती बोर्ड द्वारा साक्षात्कार, या लिखित परीक्षा, या दोनों द्वारा किया जाएगा और सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, चयन के क्षेत्र और आयु, इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अधीन जैसा अनुसूची 9 में यथाविनिर्दिष्ट हो।
 - (ख) नियम 6 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को उनके कार्य के आधार पर पद या श्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित किया जा सकता है।
- (24) उप-नियम (19) से (21) के अधीन चयन द्वारा पदों के लिए अर्हता और अनुभव के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट विषय जैसा अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट हो।
- (25) सीधी भर्ती और प्रोन्नित की ज्येष्ठता केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू निर्देशों द्वारा निर्धारित होगी, जब तक कि अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है और नियम 6 के उप-नियमों (3), (4) और (5) के अधीन किसी भी पद्धित के अनुसरण में सेवा में नियुक्त अधिकारियों की संबंधित ज्येष्ठता में सीधी भर्ती और प्रोन्नित के संबंध में चयन के कालक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी।
- 9. **परिवीक्षा और पृष्टिकरण.**—(1) वैज्ञानिक 'बी' की श्रेणी में नियुक्त व्यक्ति या तो सीधी भर्ती द्वारा, या प्रोन्नति द्वारा, या पुनर्नियोजन द्वारा, अधिवर्षिता की आयु से पहले, दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर होंगे और किसी अन्य श्रेणी में नियुक्त व्यक्ति, जो कि वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई', वैज्ञानिक 'एफ', वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) को अधिवर्षिता की आयु से पूर्व, या तो सीधी भर्ती द्वारा, या पुनर्नियोजन द्वारा, एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
 - (2) प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा, अवधि के आधार पर, अधिवर्षिता के बाद पुनर्नियोजन और आमेलन पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी:
 - (3) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अविध को बढ़ा या घटा सकता है और जिन मामलों में परिवीक्षा की अविध बढ़ाने का प्रस्ताव है, अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, द्वारा परिवीक्षा की प्रारंभिक या विस्तारित अविध की समाप्ति के बारह सप्ताह के भीतर अधिकारी को इस संबंध में लिखित में सूचना दी जाएगी।
 - (4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, अधिकारियों को, अगर उपयुक्त माना जाता है, पद के लिए पुष्टि किया जा सकता है, अगर प्रवेश श्रेणी में पहले से पुष्टि नहीं की गई है।
 - (5) यदि इस नियम के उप नियम (1) या उसके किसी विस्तार में निर्देशित परिवीक्षा की अविध के दौरान, यथास्थिति, केंद्र सरकार की राय है कि अभ्यर्थी अधिष्णयी क्षमता में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है या यिद, परिवीक्षा या उसके विस्तार की ऐसी अविध के दौरान किसी भी समय, केंद्र सरकार समाधान करती है कि अभ्यर्थी परिवीक्षा या उसके विस्तार की ऐसी अविध की समाप्ति पर पृष्टि के लिए उपयुक्त नहीं होगा, केंद्र सरकार यथास्थिति अभ्यर्थी को सेवोन्मुक्त कर सकती है या उसके अधिष्णयी पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वे उचित समझते हैं।
 - (6) परिवीक्षा की अवधि के दौरान, अभ्यर्थी को प्रशिक्षण और अभिविन्यास के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना पड़ सकता है और अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विहित ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण

(जिसके अंतर्गत हिंदी में परीक्षा भी है) पास करना परिवीक्षा के संतोषजनक समापन के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

- 10. सेवा प्रमुख.—अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सेवा प्रमुख होंगे और संगठन तथा सरकार के उत्कृष्ट फायदा के लिए सेवा के अधिकारियों के अभिनियोजन के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसके अंतर्गत अपनी प्रकार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन में महानिदेशक या निदेशक या ऐसी किसी भी नामनिर्दिष्ट स्थिति के रूप में उनके वर्तमान श्रेणी में ज्येष्ठ वैज्ञानिक की तैनाती भी है।
- 11. **सेवा के लिए दायित्व.**—(1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।
 - (2) अधिकारी, यदि प्रतिनियुक्त होते हैं, भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या सरकार के निगमों या औद्योगिक उपक्रमों में सेवा करने के लिए दायी होंगे।
 - (3) इन नियमों के लागू होने से पूर्व या पश्चात् में इंजीनियरी या चिकित्सा अर्हता रखने वाले और सेवा में भर्ती होने वाले व्यक्ति, यदि आवश्यक हो, तो प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अविध सिहत सशस्त्र बलों में कम से कम चार वर्ष की अविध के लिए कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए दायी होंगे। यदि कोई हो बशर्ते कि
 - (क) उन्हें नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद उपर्युक्त रूप में सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी: और
 - (ख) इंजीनियरों के मामले में चालीस वर्ष और डॉक्टरों के मामले में पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद साधारणतया उपर्युक्त रूप में सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (4) सेवा में नियुक्त व्यक्ति अनुसंधान और विकास या अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य कार्य के संबंध में सीमित विस्तार तक क्षेत्र सेवा (जिसके अंतर्गत जमीन पर सेवा या सैन्य विमान या नौसेना के जहाजों द्वारा यात्रा भी है) के लिए होंगे।
 - (5) सीमित क्षेत्र सेवा से जुड़े कार्यों के लिए चुने गए अधिकारियों को ऐसी विशेष चिकित्सा जांच से गुजरना होगा, या तो चयन के समय या जब वे क्षेत्र सेवा पर आगे बढ़ते हैं, यथास्थिति, जैसा विनिर्दिष्ट हो।
 - (6) सेवा में नियुक्त अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत आज्ञापक प्रशिक्षण भी है करने के लिए दायी होंगे और रक्षा अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए सक्षम और प्रवीण बनने हेतु अधिकारी को तैयारी करने के प्रयोजन से अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए गए भारत या विदेश में ऐसे पाठ्यक्रमों या अनुदेशों पर तैनात होंगे।
 - (7) प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए तैनात अधिकारी, जिसकी अवधि छह माह या उससे अधिक है, या भारत के बाहर प्रशिक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी, या निजी फर्मों, या भारत में कारखानों के साथ, प्रशिक्षण की अविध से संबंधित ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद तीन वर्ष की अविध के भीतर या प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारण से प्रशिक्षण की पूरी लागत के प्रतिदाय के लिए दायी होगा यदि वह अपनी सेवा अनियमित करने का विकल्प चुनता है।
- 12. सेवानिवृत्त लाभ.—(1) 1 जनवरी, 2004 से पहले सेवा में अधिष्ठित किए गए सेवा के सभी सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, यथासंशोधित, द्वारा शासित होंगे, और जिन्हें 1 जनवरी, 2004 से या उसके बाद सेवा में अधिष्ठित किया गया है सरकार की नई पेंशन योजना और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेश लागू होगा।

- (2) सेवा में वैज्ञानिक 'सी' और उससे ऊपर के पद पर नियुक्त वैज्ञानिक, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राह्य अधिवर्षिता पेंशन के प्रयोजन से सेवा के अतिरिक्त वर्षों के प्रसुविधा के हकदार होंगे और यह लाभ उन वैज्ञानिकों को भी स्वीकार होगा जो रक्षा विज्ञान सेवा में तुल्य पद पर नियुक्त किए गए थे और सेवा में संवर्गित किए गए हैं।
- 13. सेवा की अन्य शर्तें.—(1) इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए मामलों के संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें, यथावश्यक परिवर्तन सहित और सेवा के संबंध में संगठन द्वारा जारी किए गए किसी विशेष आदेश के अधीन होंगी, भारत सरकार के अधीन समरूप वैज्ञानिक संस्थाओं या संगठनों में तत्स्थानी प्रास्थिति के अधिकारियों (सिविलियन) के लिए समान लागू होगी।
 - (2) आचरण और अनुशासन के मामले में, सेवा के अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे।
 - (3) सेवा में सभी पदों को समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) में भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सेवाओं के लिए चिकित्सा विनियमों और चिकित्सा रिपोर्ट प्ररूप में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा मानकों के प्रयोजनों के लिए तकनीकी पदों के रूप में समझा जाएगा।
 - (4) (क) भारत या विदेश में उच्चतर अध्ययन से संबंधित छुट्टी के लिए सेवा के अधिकारियों के अनुरोध, जिन्हें संगठन के लिए किसी भी प्रकार का कोई हित नहीं माना जाता है, को अनुदत्त नहीं किया जाएगा।
 - (ख) जब सेवा के अधिकारी के रूप में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए छुट्टी का आवेदन किया जाता है, जिसे संगठन के हित के विषय पर सीधा संबंध रखता है, और यदि ऐसा अध्ययन या प्रशिक्षण, परिणाम के रूप में, संगठन के हित में होगा, हालांकि अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर रखने के विस्तार तक नहीं, अधिकारी को निम्नलिखित शर्तों पर अध्ययन के लिए छुट्टी अनुदत्त किया जा सकता है, अर्थातु: -
 - (i) संगठन ऐसे अधिकारी की अध्ययन या प्रशिक्षण के स्थान से आने-जाने की यात्रा के लिए भुगतान नहीं करेगा;
 - (ii) मंजूर छूट्टी सामान्यतः बारह महीने से अधिक नहीं होगी और किसी भी मामले में, सेवा की पूरी अवधि में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, सिवाय इसके कि जब छुट्टी डॉक्टरेट या समान अईता प्राप्त करने के लिए आवेदन की जाती है, उस स्थिति में छुट्टी की अवधि ऐसी अईता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन सेवा की पूरी अवधि में चार वर्ष से अधिक नहीं होगी;
 - (iii) बारह महीने से अधिक का अध्ययन छुट्टी तभी अनुदत्त जा सकता है जब अधिकारी ने पांच वर्ष से अधिक की सेवा की हो और संगठन में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा की हो;
 - (iv) अध्ययन छुट्टी को किसी भी अन्य प्रकार के छुट्टी के साथ लिया जा सकता है, शर्त के अध्यधीन असाधारण छुट्टी के अलावा नियमित छुट्टी के संयोजन में अध्ययन छुट्टी

अट्ठाईस माह से अधिक न हो और अध्ययन छुट्टी जिसके अंतर्गत अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि सेवा की पूरी अवधि में चार वर्ष से अधिक न हो;

- (v) भारत या विदेश में अध्ययन या प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की अविध के लिए संगठन की सेवा की बाध्यता के लिए अधिकारी से एक बांड प्राप्त किया जाएगा;
- (vi) नियत अवधि के भीतर अधिकारी के कर्तव्य पद पर लौटने की स्थिति में, अधिकारी के अध्ययन छुट्टी की अवधि में वेतन, पेंशन और वेतन वृद्धि जैसे प्रयोजनों को शामिल किया जाएगा:
- (vii) अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् अधिकारी के कर्तव्य पद पर वापस नहीं आने की स्थिति में, अधिकारी संगठन को बांड धन का भुगतान करने के लिए दायी होगा और साथ ही अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है;
- (viii) छुट्टी वेतन और अध्ययन भत्ता सहित अन्य सभी मामलों के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में अंतर्विष्ट अध्ययन छुट्टी संबंधी नियम सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।

14. **निरर्हता. –** वह व्यक्ति,—

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है विवाह या विवाह की संविदा की है; या
- (ii) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 15. शिथिल करने की शक्ति. —जहां केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करके किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- 16. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 17. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उनका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची 1

[नियम 2(7), 8(4) और 8(6) देखें]

वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'ई' तक की कार्य अंकन रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करने के लिए आंतरिक जांच समिति-

(i) महानिदेशक (मानव संसाधन) या महानिदेशक (कॉर्पोरेट) - अध्यक्ष;

(ii) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला या स्थापन या - सदस्य;

मुख्यालयों से तीन निदेशक

(iii) निदेशक, कार्मिक - सदस्यः

(iv) निदेशक, मानव संसाधन विकास - सदस्य।

नोट 1: अध्यक्ष के अलावा समिति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति, आंतरिक जांच समिति की कार्यवाही को अमान्य नहीं बनाएगी।

नोट 2: निदेशक के स्थान पर सलाहकार या वैज्ञानिक 'जी' को नामनिर्देशित किया जा सकता है।

अनुसूची 2

[नियम 2(4), 2(10), 2(16), 8(3), 8(4), 8(7), 8(8), 8(9) और 8(10) देखें]

भाग क

वैज्ञानिक 'एफ' की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए प्रारंभिक जांच समिति, और वैज्ञानिक 'एफ' के साथ बातचीत के लिए स्क्रीनिंग समिति

(क) प्रारंभिक जांच समिति

- (i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित एक विशिष्ट वैज्ञानिक अध्यक्ष;
- (ii) दो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' के स्तर से नीचे के न हों, अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान सदस्य। एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित

(ख) जांच समिति

- (i) रक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित सह-अध्यक्षों के पैनल में से अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित एक बाहरी विशेषज्ञ - अध्यक्ष;
- (ii) दो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'एच' के स्तर से नीचे के न हों, अध्यक्ष, सदस्य; रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित
- (iii) दो बाहरी सदस्य (एक विषय विशेषज्ञ और एक प्रबंधन विशेषज्ञ) सदस्य।
 अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केंद्र द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास संगठन,

उद्योगों या विशिष्ट विषय या क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नामनिर्देशित।

भाग ख

वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'एच' की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक जांच समिति एवं वैज्ञानिक 'जी' के साथ बातचीत के लिए जांच समिति

(क) प्रारंभिक जांच समिति

- (i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामित एक विशिष्ट वैज्ञानिक अध्यक्ष;
- (ii) महानिदेशक (मानव संसाधन), रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सदस्य;
- (iii) निदेशक, कार्मिक निदेशालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग सिचव

- गैर सदस्य

(ख) जांच समिति

या

- (i) रक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित सह-अध्यक्षों के पैनल में से अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित एक बाहरी विशेषज्ञ - अध्यक्ष;
- (ii) तीन वैज्ञानिक सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्देशित सदस्य; "विशिष्ट वैज्ञानिक" के स्तर से नीचे के न हो।
- (iii) दो बाहरी सदस्य (एक विषय विशेषज्ञ और एक प्रबंधन विशेषज्ञ), सदस्य।
 अध्यक्ष, भर्ती और मूल्यांकन केंद्र द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और
 विकास संगठन, उद्योगों या विशिष्ट विषय या क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नामनिर्देशित।

नोट: अध्यक्ष के अलावा समिति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति प्रारंभिक जांच समिति और जांच समिति की कार्यवाही को अमान्य नहीं बनाएगी;

अनुसूची 3

[नियम 2(1) और 8(10) देखें]

रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में वैज्ञानिक 'एफ' स्तर तक प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए निर्धारण बोर्ड

- (i) अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त;
 - सह अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त;
- (ii) एक कोर सदस्य सेवारत या हाल ही में सेवानिवृत्त वरिष्ठ रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा वैज्ञानिक अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित;
- (iii) एक विभागीय सदस्य अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित;

- (iv) दो बाहरी सदस्य विशिष्ट विषय या क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास संगठनों से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित;
- (v) प्रयोगशाला के निदेशक या मतदान न करने वाला सदस्य। उसके प्रतिनिधि

टिप्पण:

- (i) अध्यक्ष के अलावा निर्धारण बोर्ड के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति, निर्धारण बोर्ड की कार्यवाही को अमान्य नहीं बनाएगी।
- (ii) वैज्ञानिकों के उचित मूल्यांकन के लिए अध्यक्ष, दो से अधिक बाहरी सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकते हैं, जहां भी आवश्यक हो।
- (iii) क्रम संख्या (i) और (ii) बोर्ड की कोर समिति बनाएगी जो बोर्ड की करेंसी के दौरान सामान्य रूप से नहीं बदलेगी।
- (iv) वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में आरक्षण के अनुसार अध्यक्ष द्वारा सहयोजित सदस्य को नामनिर्देशित किया जा सकता है।

अनुसूची 4

[नियम 2(9), 8(3), 8(8), 8(10) और 8(12) देखें]

भाग क

वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' की अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने और रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए समकक्ष समिति।

- (i) अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केंद्र, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग अध्यक्ष;
- (ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सदस्य;
- (iii) सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग या उनके प्रतिनिधि सदस्य;
- (iv) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा सदस्य; नामनिर्देशित किए जाने वाले केंद्र सरकार के अन्य वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव
- (v) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक या प्रबंधन विशेषज्ञ, सदस्य;
- (vi) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एक विशिष्ट वैज्ञानिक - सदस्य।

भाग ख

अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'ई' की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए समकक्ष समिति।

(i) अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केंद्र, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग - अध्यक्ष;

- (ii) दो बाहरी सदस्य जो वैज्ञानिक 'एच' के रैंक से नीचे के न हो सदस्य;
- (iii) दो आंतरिक सदस्य जो वैज्ञानिक 'एच' के रैंक से नीचे के न हो सदस्य।

टिप्पण:

- 1. अध्यक्ष के अलावा समकक्ष सिमति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति, समकक्ष सिमति की कार्यवाही को अमान्य नहीं बनाएगी।
- 2. विशिष्ट वैज्ञानिक का श्रेणी प्रदान करने के लिए, समकक्ष समिति में उपरोक्त तालिका के भाग क में (i) से (v) के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- 3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों में आरक्षण के अनुसार अध्यक्ष द्वारा सहयोजित सदस्य को नामनिर्देशित किया जा सकता है।

अनुसूची 5

[नियम 2(14), 8(19), 8(20), 8(21), 8(22) और 8(23) देखें]

खुला विज्ञापन या प्रतिभा खोज स्कीम या प्रशिक्षणार्थी वैज्ञानिक स्कीम या प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा या पुनर्नियोजन या आमेलन के माध्यम से रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में भर्ती करने हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए भर्ती बोर्ड

(i) अध्यक्ष - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त;

या

गर अध्यक्ष केंट्र स

- केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना;
- (ii) दो बाहरी सदस्य शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास संगठनों, उद्योगों या विशिष्ट विषय या क्षेत्र के विशेषज्ञों से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त;
 - (iii) दो विभागीय सदस्य- अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नामनिर्देशित।

टिप्पण : अध्यक्ष के अलावा बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थिति, निर्धारण बोर्ड की कार्यवाही को अमान्य नहीं बनाएगी।

9.115.111						
	अनुसूची 6					
		[नियम 8(5)	, 8(6), 8(7) और 8	(9) देखें]		
रेजीडेंसी	प्रोन्नति हे	तु निर्धारण के लिए ३	अपेक्षित वार्षिक कार्य	अंकन रिपोर्ट में न्यून	नतम औसत अंक (%)
वर्षों में				•		
	वैज्ञानिक 'बी'	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक
						'जी'
3	85	#	#	#	-	
4	80	85	85	85	#	90&
5	75	80	80	80	85	85@
6	70	75	75	75	80	85*
7	70	70	70	75	75	80
8	70	70	70	75	75	75

वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' तक की प्रोन्नति हेतु निर्धारण के लिए पात्रता मानदंड

- # वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'एफ' तक प्रत्येक वर्ष में लगातार 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले न्यूनतम रेजीडेंसी में एक वर्ष की छूट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे और इस तरह की छूट एक वैज्ञानिक के पूरे करियर में दो बार तक सीमित होगी जैसा कि नियम 8 के उप-नियम (9) के खंड भ में विहित है।
- ४ प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में लगातार 90% अंक या उससे अधिक की आवश्यकता होती है।
- प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में लगातार 85% या उससे अधिक अंकों की आवश्यकता होती है।
- * पिछले 5 वर्षों की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में 80% या उससे अधिक अंक और पिछले 3 वर्षों की वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में 85% से कम अंक न हो।

टिप्पण 1: अगले उच्चतर श्रेणी के निर्धारण हेतु पात्र होने के लिए, वैज्ञानिकों को उनकी वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में न्यूनतम औसत अंक प्राप्त करना चाहिए जैसा उपरोक्त बताया गया है और साथ ही उनकी वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए जैसा उपरोक्त सारणीबद्ध है, जो विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न रेजीडेंसी अविधयों के लिए यथा विनिर्दिष्ट है।

टिप्पण 2 :

- (i) वैज्ञानिक 'बी' से लेकर वैज्ञानिक 'डी' के लिए जिनकी वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में औसत अंक 70% से कम हैं और जिनकी 50% से अधिक वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में 70% से कम अंक हैं, वे निर्धारण के पात्र नहीं होंगे।
- (ii) वैज्ञानिक 'ई' और उससे ऊपर के लिए जिनकी वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में औसत अंक 75% से कम हैं और जिनकी 50% से अधिक वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में 75% से कम अंक हैं, वे निर्धारण के पात्र नहीं होंगे।
- (iii) वैज्ञानिक 'बी' के सिवाय सभी श्रेणी में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए वर्तमान श्रेणी में न्यूनतम 03 वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, वहीं वैज्ञानिक 'बी' की प्रोन्नति के लिए तीन वर्षों की रेजीडेंसी अविध के पश्चात् पात्रता के लिए न्यूनतम दो वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

अनुसुची 7

[नियम 2(4), 4(1) और 4(4) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में

सम्मिलित समूह 'क' पदों की संख्या और वेतनमान हैं।

क्र.सं.	पद का पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या	
1.	वैज्ञानिक 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100 – 177500 रु.)		
2.	वैज्ञानिक 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700 – 208700 रु.)		

3.	वैज्ञानिक 'डी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800 – 209200 रु.)		
4.	वैज्ञानिक 'ई'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100 – 215900 रु.)		
5.	वैज्ञानिक 'एफ'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13ए (131100 – 216600 रु.)		7773
6.	वैज्ञानिक 'जी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200 – 218200 रु.)		
7.	वैज्ञानिक 'एच'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (182200 – 224100 रु.)		
	(उत्कृष्ट वैज्ञानिक)			
8.	विशिष्ट वैज्ञानिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16 (205400 – 224400 रु.)	सरकार द्वारा यथा	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	विनिश्चित <i>(व्यक्तिगत</i>	
			उन्नयन, संख्या)	
9.	रक्षा मंत्री के	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।	1	
	वैज्ञानिक सलाहकार			
	और अध्यक्ष, रक्षा			
	अनुसंधान एवं			
	विकास संगठन			

टिप्पण : वैज्ञानिक 'बी' से लेकर वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) तक के सभी पद योग्यता आधारित लचीली पूरक स्कीम के अधीन आते हैं।

अनुसूची 8 [नियम 8(1), (3) और (19) देखें]

78	रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में सम्मिलित विभिन्न समूह 'क' पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं,					
	अनुभव एवं आयु-सीमा।					
	जनुषय एय जायु-सामा। सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और अनुभव।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
क्र.सं.	पद का	उन पदों के लिए जिनमें वैज्ञानिक या	उन पदों के लिए जिनमें चिकित्सा अर्हताएं अपेक्षित	सीधी भर्ती के		
	नाम	इंजीनियरिंग या तकनीकी विषयों में	कै	लिए आयु		
		अर्हताएं अपेक्षित है।		सीमा		
1.	वैज्ञानिक	(क) अनिवार्य:	अनिवार्यः	35 वर्ष से		
	'बी'।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या	(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956	अधिक नहीं		
		समतुल्य से विज्ञान विषयों, गणित या	(1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी	(इस संबंध में		
		मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में	अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में शामिल	समय-समय		
		स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग या	चिकित्सा अर्हता। उक्त अधिनियम की उक्त तीसरी	पर केन्द्रीय		
		प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में प्रथम श्रेणी की	अनुसूची के भाग ॥ में शामिल चिकित्सा अर्हता	सरकार द्वारा		
		डिग्री।	धारकों को भी उक्त अधिनियम की धारा 13 की	जारी निर्देशों		
			उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना	या आदेशों के		
		(ख) वांछनीय:	चाहिए;	अनुसार		
		जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा	या	सरकारी		
		का ज्ञान।	(ii) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का	सेवकों के		
			16) की अनुसूची के भाग I, भाग II या भाग III में	लिए पांच वर्ष		
			दंत अर्हता;	की छूट)।		
			या			
			(iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विधिवत			

			मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन	
			में स्नातक की डिग्री;	
(1)	(2)	(2)	(iv) अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप को पूरा करना।	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	वैज्ञानिक	(क) अनिवार्यः	अनिवार्यः	40 वर्ष से
	'सी'।			अधिक नहीं
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या	(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,	(इस संबंध में
		समकक्ष से विज्ञान विषयों, गणित या	1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या	केन्द्रीय
		मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में	दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में	सरकार द्वारा
		स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग या	शामिल एक चिकित्सा अर्हता। उक्त तीसरी अनुसूची	जारी निर्देशों
		प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में प्रथम श्रेणी की	के भाग ।। में शामिल चिकित्सा अर्हता धारकों को	या आदेशों के
		डिग्री।	उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में	अनुसार
			निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए;	सरकारी
		(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान या	या	सेवकों के
		डिजाइन या विकास या उत्पादन में तीन	(ii) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का	लिए पांच वर्ष
		वर्ष का अनुभव।	16) की अनुसूची के भाग ।, भाग ।। या भाग ।।। में	की आयु तक
			दंत अर्हता;	छूट)।
		(iii) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान	या	
		अनुभव के रूप में समतुल्य करने के लिए	(iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा	
		उच्चतर अर्हता को अधिमान्यता निम्नानुसार	विधिवत मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और	
		कें,-	पशुपालन में स्नातक की डिग्री।	
		क. इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री	 (iv) स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अपेक्षित है।	
		- दो वर्ष।		
		ख. विज्ञान या गणित में डॉक्टरेट की डिग्री	 (∨) चिकित्सा या दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा	
		- तीन वर्ष।	्र. विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा राहत,	
		ग. इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री	चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या	
		- चार वर्ष।	्र सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के आवश्यक क्षेत्र में	
			तीन वर्षों का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।	
		(ख) वांछनीय:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			 (vi) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान अनुभव के	
		(i) संबंधित विषय में विज्ञान, गणित	रूप में समतुल्य करने के लिए उच्चतर अर्हता को	
		या मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री या	अधिमान्यता निम्नानुसार है,-	
		इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातुकर्म		
		इजानियारेग या प्राद्यागिका या घातुकम में स्नातकोत्तर डिग्री।		
		म स्नातकात्तर । इग्रा।	क. दंत चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान	

		(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या	और पशुपालन में स्नातकोत्तर उपाधि - दो वर्ष;	
		 चीनी भाषा का ज्ञान।	- ख. मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री - तीन वर्ष।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	वैज्ञानिक	(क) अनिवार्य:	अनिवार्यः	50 वर्ष से
	'डी'।			अधिक नहीं
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,	(इस संबंध में
		या समकक्ष से विज्ञान विषयों, गणित या	1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या	समय-समय
		मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में	दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में	पर केन्द्रीय
		स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग,	शामिल चिकित्सा अर्हता। उक्त अधिनियम की उक्त	सरकार द्वारा
		प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में प्रथम श्रेणी की	तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में शामिल चिकित्सा	जारी निर्देशों
		डिग्री;	अर्हता धारकों को भी उक्त अधिनियम की धारा 13	या आदेशों के
			की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना	अनुसार
		(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान या	चाहिए;	सरकारी
		डिजाइन या विकास या उत्पादन में सात		सेवकों के
		वर्षों का अनुभव;	या	लिए पांच वर्ष
			(ii) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948	की छूट)।
		(iii) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान	का 16) की अनुसूची के भाग I, भाग II या भाग III	
		अनुभव के रूप में समतुल्य करने के लिए	में दंत अर्हता।	
		उच्चतर अर्हता को अधिमान्यता निम्नानुसार		
		है,-	या	
			(iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा	
		क. इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री	विधिवत मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और	
		- दो वर्ष;	पशुपालन में स्नातक की डिग्री।	
		ख. विज्ञान या गणित में डॉक्टरेट की डिग्री		
		- तीन वर्ष।	(iv) स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अपेक्षित है।	
		ग. इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री		
		- चार वर्ष।	(v) चिकित्सा या दंत चिकित्सा या पशु	
			चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा	
		(ख) वांछनीय	राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या	
			सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के आवश्यक क्षेत्र में	
		(i) विज्ञान या इंजीनियरिंग में पोस्ट	सात वर्षों का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।	
		डॉक्टरल या विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान		
		में डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग में	(vi) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान अनुभव के	
		डॉक्टरेट की डिग्री या संबंधित विषय में	रूप में समतुल्य करने के लिए उच्चतर अर्हता को	
		इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में	अधिमान्यता निम्नानुसार है,-	
		स्नातकोत्तर डिग्री।		
		(1) -2 2 -0 -0 -0	क. दंत चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान	
		(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या	और पशुपालन में स्नातकोत्तर डिग्री - दो वर्ष;	
		चीनी भाषा का ज्ञान।	- 200-3:	
			ख. मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री- तीन वर्ष।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	वैज्ञानिक	(क) अनिवार्य:	अनिवार्यः	50 वर्ष से
	'ई'।			अधिक नहीं
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,	(इस संबंध में
		या समकक्ष से विज्ञान विषयों, गणित या	1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या	समय-समय
		मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में	दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में	पर केंद्रीय
		स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग,	शामिल चिकित्सा अर्हता। उक्त अधिनियम की उक्त	सरकार द्वारा
		प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में प्रथम श्रेणी की	तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में शामिल चिकित्सा	जारी निर्देशों
		डिग्री;	अर्हता धारकों को भी उक्त अधिनियम की धारा 13	या आदेशों के
		(ii) > > >	की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना	अनुसार
		(ii) आवश्यक क्षेत्रों में अनुसंधान या	चाहिए;	सरकारी सेवकों के
		डिजाइन या विकास या उत्पादन में दस वर्षों का अनुभव;		सवका क लिए पांच वर्ष
		वर्षा का अनुमवः	या (ii) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948	ालए पाच वष की छूट)।
			का 16) की अनुसूची के भाग I, भाग II या भाग III	યા જૂંદ)ા
		(iii) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान	में दंत अर्हता;	
		अनुभव के रूप में समतुल्य करने के लिए		
		उच्चतर अर्हता को अधिमान्यता निम्नानुसार	या	
		है,-	(iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा	
		- :	विधिवत मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और	
		क. इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री - दो वर्ष;	पशुपालन में स्नातक की डिग्री;	
		ख। विज्ञान या गणित में डॉक्टरेट की डिग्री - तीन वर्ष।	(iv) स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अपेक्षित है।	
		ग. इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री - चार वर्ष।	(v) चिकित्सा या दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा राहत,	
		(ख) वांछनीय:	चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के आवश्यक क्षेत्र में दस	
		(i) विज्ञान या इंजीनियरिंग में पोस्ट डॉक्टरल या विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान	वर्ष का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव।	
		में डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग में	(vi) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान अनुभव के	
		डॉक्टरेट की डिग्री या संबंधित विषय में	रूप में समतुल्य करने के लिए उच्चतर अर्हता को	
		इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में	अधिमान्यता निम्नानुसार है,-	
		स्नातकोत्तर डिग्री या प्रासंगिक क्षेत्र में		
		प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री;	क. दंत चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान	
			और पशुपालन में स्नातकोत्तर डिग्री - दो वर्ष।	
		(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी		
		भाषा का ज्ञान।	ख. मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री - तीन वर्ष।	
		(iii) परियोजना प्रबंधन या सामग्री प्रबंधन या संसाधन प्रबंधन या संगठनात्मक विकास के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय के लिए अनुसंधान और विकास प्रबंधन में तीन वर्ष का अनुभव।		

(1) (2) (3) (4) 5. वैज्ञानिक (क) अनिवार्यः अनिवार्यः अनिवार्यः 'एफ'। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधि या समकक्ष से विज्ञान विषयों या गणित या (1956 का 102) की पहली अनुसू मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भार	पूची या दूसरी समय-समय ा ॥ में शामिल पर केंद्रीय
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधि या समकक्ष से विज्ञान विषयों या गणित या (1956 का 102) की पहली अनुस् मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग	प्रेनियम 1956 (इस संबंध में पूची या दूसरी समय-समय ा ॥ में शामिल पर केंद्रीय
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधि या समकक्ष से विज्ञान विषयों या गणित या (1956 का 102) की पहली अनुस् मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग	पूची या दूसरी समय-समय ा ॥ में शामिल पर केंद्रीय
मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग	ा II में शामिल पर केंद्रीय
	को उक्त तीसरी सरकार द्वारा
स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग या चिकित्सा अर्हता। उक्त अधिनियम र्व	
प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में कम से कम अनुसूची के भाग ॥ में शामिल चि	कित्सा अर्हता जारी निर्देशों
प्रथम श्रेणी की डिग्री; धारकों को भी उक्त अधिनियम की	धारा 13 की या आदेशों के
उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों क	ो पूरा करना अनुसार
(१) व्याप्त के में में व्याप्त में चाहिए;	सरकारी
(ii) आवश्यक क्षेत्रों में अनुसंधान या	सेवकों के लिए
डिजाइन या विकास या उत्पादन में 13 या	पांच वर्ष की
वर्षों का व्यावहारिक अनुभव; (ii) दंत चिकित्सक अधिनियम, 194	48 (1948 का छूट)।
16) की अनुसूची के भाग I, भाग II	या भाग ॥ में
(iii) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान दंत अर्हता;	
अनुभव के रूप में समतुल्य करने के लिए	
उच्चतर अर्हता को अधिमान्यता निम्नानुसार या	
है,- (iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	
मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान	और पशुपालन
क. इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री में स्नातक की डिग्री;	
- दो वर्ष;	
ख. विज्ञान या गणित में डॉक्टरेट की डिग्री (iv) स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अपेक्षित - तीन वर्ष;	ा है;
ग. इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री (v) चिकित्सा या दंत चिकित्सा या	पश् चिकित्सा
- चार वर्ष। विज्ञान और पशुपालन में चिर्	केत्सा राहत,
चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा	शिक्षा या
(ख) वांछनीयः सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के आवश्य	यक क्षेत्र में 13
वर्षों का व्यावहारिक और प्रशासनिक	: अनुभव;
(i) विज्ञान या इंजीनियरिंग में पोस्ट	
डॉक्टरल या विज्ञान, गणित या (vi) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान	<u> </u>
मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री या रूप में समतुल्य करने के लिए उच्चतर	अर्हता को
इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री या अधिमान्यता निम्नानुसार है,-	
संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या	
प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में स्नातकोत्तर के. दंत चिकित्सा विज्ञान या पशु चि	
डिग्री या प्रासंगिक क्षेत्र में प्रबंधन में और पशुपालन में स्नातकोत्तर उपाधि	- दो वर्षः;
स्नातकोत्तर डिग्री; ख. मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री - र्त	ोन वर्ष।
(iii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी	
भाषा का ज्ञान।	
(iii) परियोजना प्रबंधन या सामग्री प्रबंधन	
या संसाधन प्रबंधन या संगठनात्मक	
विकास के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय	
के लिए अनुसंधान और विकास प्रबंधन में	
चार वर्ष का अनुभव।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	(2) वैज्ञानिक 'जी'।		(4) अनिवार्यः (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में शामिल चिकित्सा अर्हता। उक्त अधिनियम की उक्त तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में शामिल चिकित्सा अर्हता धारकों को भी उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए; या (ii) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग ।, भाग ॥ या भाग ॥ में दंत अर्हता; या (iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री; (iv) स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता अपेक्षित है; (v) चिकित्सा या दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में चिकित्सा राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के आवश्यक क्षेत्र में तेरह वर्ष का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव। (vi) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान अनुभव के रूप में समतुल्य करने के लिए उज्जतर अर्हता को अधिमान्यता निम्नानुसार है,- क. दंत चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातकोत्तर उपाधि - दो वर्ष; ख. मेडिसिन में स्नातकोत्तर उपाधि - दो वर्ष;	(5) 50 वर्ष से अधिक नहीं (इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की छूट)।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक)।	<i>(ए) अनिवार्यः</i> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से विज्ञान विषयों या गणित या मनोविज्ञान में कम से	लागू नहीं।	54 वर्ष से अधिक नहीं (समय-समय
		कम प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में कम से कम प्रथम श्रेणी डिग्री;		पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेश के
		(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान या डिजाइन या विकास या उत्पादन में पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव;		अनुसार सरकारी कर्मचारियों के
		(iii) पार्श्विक भर्ती के लिए अनुसंधान अनुभव के रूप में समतुल्य करने के लिए उच्चतर अर्हता को अधिमान्यता निम्नानुसार है,-		लिए पांच वर्ष की आयु तक की छूट)।
		क. इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री		
		- दो वर्ष।		
		ख. विज्ञान या गणित में डॉक्टरेट की डिग्री		
		- तीन वर्ष।		
		ग. इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री		
		- चार वर्ष।		
		ख) वांछनीय:		
		(i) विज्ञान या इंजीनियरिंग में पोस्ट डॉक्टरल या विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में स्नातकोत्तर डिग्री;		
		(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा का ज्ञान;		
		(iii) परियोजना प्रबंधन या सामग्री प्रबंधन या संसाधन प्रबंधन या संगठनात्मक विकास के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय के लिए अनुसंधान और विकास प्रबंधन में पांच वर्ष का अनुभव।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	विशिष्ट वैज्ञानिक।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
9.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	सरकार द्वारा विहित की जाने वाली शैक्षिक योग्यता और अनुभव जो वैज्ञानिक 'जी' के लिए निर्धारित योग्यता से कम नहीं होगी।		

टिप्पण 1: विशिष्ट तौर पर अन्यथा योग्य अध्येता के मामले में सरकार के निर्णय के आधार पर निर्धारित योग्यता में छूट दी जाएगी, अनुभव के संबंध में योग्यता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के मामले में सरकार के विवेक पर छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर, सरकार की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी की संख्या उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है।

टिप्पण 2: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अलावा अन्य अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

टिप्पण 3: रक्षा सेवाओं के अधिकारी जिन्हें सेना में शामिल करने हेतु ऊपर उल्लिखित किसी भी श्रेणी में असैन्य पदों में स्थानांतरण के लिए विचार किया जाना है, उनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना चाहिए। परंतु यह और कि यदि, अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सिफारिशों पर किसी अधिकारी द्वारा पास किया गया कोई सैन्य पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण आदि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सेवा पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण के बराबर हो, तो ऐसे अधिकारियों को भी इस अनुसूची में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं से युक्त समझा जा सकेगा।

टिप्पण 4: अनुसूची में उल्लिखित विषयों के अलावा, अन्य विषयों ऐसी पेशेवर या (विशेष क्षेत्रों या क्षेत्रों सिहत), व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताएं, जो भारत सरकार द्वारा उच्च पदों और सेवाओं पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित हैं, लागू होंगी। ऐसे मामलों में जहां एक औपचारिक डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जा रहा है या अनुमोदित नहीं किया गया है, शैक्षिक अर्हता और अनुभव अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विहित किया जा सकेगा।

अनुसूची 9 [नियम 8(20), (21), (22) और (23) देखें]

रः	रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में सम्मिलित विभिन्न समूह 'क' पदों पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन या अल्पकालिक संविदा या							
पुनर्नियुक्ति (प्रतिनियुक्ति या कार्यकाल तैनाती पर सशस्त्र बल कार्मिक) के लिए चयन का क्षेत्र।								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
क्र.सं.	पद का नाम।	अनिवार्य या वांछनीय अर्हता।	श्रेणी में प्रदत्त सेवा।	आयु सीमा।				
1.	वैज्ञानिक 'बी'	जैसा अनुसूची-8 में सीधी भर्ती के लिए विहित है	(i) नियमित आधार पर सदृश पद का धारण;	अधिकतम छप्पन वर्ष।				
2.	वैज्ञानिक 'सी'	जैसा अनुसूची-8 में सीधी भर्ती के लिए विहित है	(i) नियमित आधार पर सदृश पद का धारण; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) में स्तर-10 के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा	अधिकतम छप्पन वर्ष।				
3.	वैज्ञानिक 'डी'	जैसा अनुसूची-8 में सीधी भर्ती के लिए विहित है	(i) नियमित आधार पर सदृश पद का धारण; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) में स्तर-11 के पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा	अधिकतम छप्पन वर्ष।				
4.	वैज्ञानिक 'ई'	जैसा अनुसूची-8 में सीधी भर्ती के लिए विहित है	(i) नियमित आधार पर सदृश पद का धारण; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) में स्तर-12 के पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा	अधिकतम छप्पन वर्ष।				
5.	वैज्ञानिक 'एफ'	जैसा अनुसूची-8 में सीधी भर्ती के लिए विहित है	(i) नियमित आधार पर सदृश पद का धारण; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपए) के पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा	अधिकतम छप्पन वर्ष।				

6.	वैज्ञानिक	जैसा अनुसूची-8 में सीधी	(i) नियमित आधार पर सदृश पद का धारण;	अधिकतम अट्ठावन वर्ष।
	'जी'	भर्ती के लिए विहित है	या	
			(ii) वेतन मैट्रिक्स (131100-216600 रुपए) में	
			स्तर-13ए के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा	

टिप्पण 1: निर्दिष्ट न्यूनतम नियमित अर्हक सेवा के साथ राज्य सरकार या अन्य गैर-सरकारी निकायों में समान वेतनमान या समान पोषक पद पर समान पद धारण करने वाले व्यक्ति की पात्रता, इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों द्वारा निधारित होगी।

अनुसूची- 10

[नियम 8(2) देखें]

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की फेलोशिप स्कीम के अधीन अध्येता की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी, अर्थात्:-

- (i) अध्येता का चयन भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैमानिकी और कंप्यूटर विज्ञान या अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय में वैज्ञानिक 'बी' के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए अनुसूची 8 में विहित शैक्षिक योग्यता और आयु रखने वाले अभ्यर्थियों में से अखिल भारतीय स्तर पर साक्षात्कार के माध्यम से मेधा क्रम के आधार पर किया जाएगा। अनुसूची 8 में विहित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम परीक्षा में बैठने वाले अभ्यार्थियों को भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अधीन चयन के लिए स्वीकर किया जा सकता है, बशर्ते कि उनका अंतिम चयन, विहित योग्यता प्राप्त करने के अधीन होगा।
- (ii) प्रशिक्षण की सामान्य अवधि एक वर्ष होगी। प्रशिक्षण के दौरान, 'अध्येताओं' को एक हजार दो सौ रुपए प्रति माह या समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य राशि की समेकित वृत्तिका दिया जाएगा और वे किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं होंगे। उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान छात्रावास प्रदान किया जाएगा। जहां ऐसे आवास प्रदान नहीं किए जाते है, वे फैलोशिप की राशि पर सरकार की प्रचलित दरों पर ही मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (iii) प्रशिक्षण के सफल समापन पर अध्येता नियम 8 के उप-नियम (2) में अंतविष्टि उपबंधों के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में अध्येता को वैज्ञानिक 'बी' के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
- (iv) ऐसी नियुक्तियों को सभी उद्देश्यों के लिए सीधी भर्ती माना जाएगा। वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए, "फेलोशिप स्कीम" के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक 'बी', नियम 6 में विहित किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से वैज्ञानिक 'बी के रूप में नियुक्ति हेतु चयनित सभी अध्येता के साथ-साथ उन सभी उम्मीदवारों से सामूहिक तौर पर किनष्ठ माने जाएंगे जो वैज्ञानिक 'बी के रूप में अध्येता की नियुक्ति की तिथि से पहले वैज्ञानिक 'बी के रूप में सीधे तौर पर नियुक्ति हेतु चयनित हुए हैं। 'अध्येताओं' की वरिष्ठता आपस में उनकी योग्यता के क्रम में नियत की जाएगी।
- (v) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, 'अध्येताओं' को किसी भी समय बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकता है।
- (vi) प्रशिक्षण के दौरान 'अध्येताओं' को विभाग द्वारा निर्धारित सभी परीक्षण या परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। जो ऐसी जांच या परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं हैं और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सेवा के वैज्ञानिक 'बी' के ग्रेड की सेवा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची - 11 (प्रशिक्षु वैज्ञानिक के लिए)

[नियम 6(2) देखें]

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रशिक्षु वैज्ञानिक स्कीम के अधीन 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' की नियुक्ति की नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी, अर्थात्:-

- (i) 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' का चयन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट इंजीनियरिंग या विज्ञान विषयों में वैज्ञानिक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूची 8 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आयु रखने वाले अध्येता में से अखिल भारतीय स्तर पर साक्षात्कार या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से मेधा के क्रम में, किया जाएगा।
- (ii) प्रशिक्षण की सामान्य अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी। प्रशिक्षण के दौरान, 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा और वे किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं होंगे। उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान छात्रावास प्रदान किया जाएगा। जहां ऐसा आवास प्रदान नहीं किया जाता है, वे केवल समेकित वृत्तिका की राशि पर सरकार की प्रचलित दरों पर ही मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (iii) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' को बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकता है।
- (iv) प्रशिक्षण के दौरान 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' को विभाग द्वारा विहित सभी जांच या परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। जो ऐसी जांच या परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं हैं और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा नहीं करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक 'बी' के ग्रेड की सेवा में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) प्रशिक्षण के सफल समापन पर, 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' को सीधी भर्ती के मामले में अपेक्षित अन्य सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में वैज्ञानिक 'बी' के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
- (vi) ऐसी नियुक्तियों को सभी उद्देश्यों के लिए सीधी भर्ती माना जाएगा। वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए, "प्रशिक्षु वैज्ञानिक स्कीम" के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक 'बी' नियम 6 में निहित अन्य प्रक्रिया के माध्यम से वैज्ञानिक 'बी' के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित सभी उम्मीदवारों के साथ-साथ उन सभी उम्मीदवारों से सामूहिक तौर पर किनष्ठ माने जाएंगे जो वैज्ञानिक 'बी' के रूप में 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' की नियुक्ति की तिथि से पहले सीधे तौर पर वैज्ञानिक 'बी' के रूप में चयनित हुए हैं। 'प्रशिक्षु वैज्ञानिक' की आपस में वरिष्ठता चयन बोर्ड द्वारा चयन सूची में निर्दिष्ट उनकी योग्यता के क्रम में तय की जाएगी।

अनुसूची 12

[नियम 6(2) देखें]

प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य मान्यता प्राप्त प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालयों से विशिष्ट विषयों के प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिभा खोज स्कीम।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रतिभा खोज स्कीम के तहत वैज्ञानिक 'बी' के चयन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी, अर्थातु:-

(क) प्रतिभा खोज योजना के अधीन प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य मान्यता प्राप्त प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालयों से संगठन की विषय-वार आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर कैंपस चयन किया जाएगा।

- (ख) वैज्ञानिक 'बी' की कैंपस भर्ती विशिष्ट विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष या इससे ऊपर के छात्रों या विशिष्ट विषयों में भारतीय विज्ञान संस्थान और उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान से इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर ऑफ टेक्नोलॉजी (एकीकृत डिग्री या दोहरी डिग्री सहित) के अंतिम वर्ष के छात्रों के बीच की जाएगी।
- (ग) कैंपस चयन के लिए पात्र अध्येता की आयु सीमा वैज्ञानिक 'बी' की सीधी भर्ती के लिए विहित आयु-सीमा होगी, जो उस वर्ष के 1 अगस्त को निर्धारित होगी जिस वर्ष उनकी डिग्री पूरी होगी।
- (घ) कैंपस चयन के लिए पात्रता अंतिम सेमेस्टर या वर्ष में जिसके लिए परिणाम घोषित किया गया है, कम से कम प्रथम श्रेणी या समकक्ष होगा। हालांकि, साक्षात्कार के लिए छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए पात्रता मानदंड बढ़ाया जा सकता है।
- (च) साक्षात्कार या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
- (छ) इस योजना के तहत वैज्ञानिक 'बी' के रूप में अभ्यर्थी का चयन इस शर्त के अधीन अनंतिम होगा कि अभ्यर्थी पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी या समकक्ष में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे।
- (ज) उपरोक्त खंड (च) के अनुसार पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि वे सीधी भर्ती के अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करें।

अनुसूची 13

[नियम 8(9) देखें]

लचीली पूरक स्कीम के अधीन पदोन्नति के लिए न्यूनतम रेजिडेंसी अविध हेतु एक अर्हक वैज्ञानिक द्वारा ली गई अवकाश की गणना।

विभिन्न प्रकार के अवकाशों पर बिताई गई निम्नलिखित अवधियों को प्रोन्नति के लिए न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि में गिना जाएगा, अर्थात्:-

- (क) किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा जो एक वैज्ञानिक को विविध पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है।
- (ख) वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए लिए गए अध्ययन अवकाश या किसी अन्य अवकाश की अवधि।
- (ग) नियम 13 के उप-नियम (4) के अधीन स्वीकृत मातृत्व अवकाश को लचीली पूरक स्कीम के अधीन पदोन्नति के लिए न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि की गणना करते समय सेवा के रूप में माना जाएगा।
- (घ) नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन मातृत्व अवकाश के क्रम में स्वीकृत अधिकतम एक वर्ष की अविध के अवकाश को भी मातृत्व अवकाश के समतुल्य माना जा सकता है।
- (च) नियम 13 के उप-नियम (4) के अधीन स्वीकृत 180 दिन (तीन वर्ष की रेजिडेंसी अविध के लिए), 210 दिन (चार वर्ष की रेजिडेंसी अविध के लिए) और 240 दिन (पांच वर्ष और उससे अधिक रेजिडेंसी अविध के लिए) की कुल अविध के लिए अर्जित अवकाश) से अधिक नहीं
- (छ) नियम 13 के उप-नियम (4) के तहत स्वीकृत चाइल्ड केयर लीव।
- (2) किसी गैर-वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में व्यतीत की गई अवधि तथा व्यक्तिगत आधार पर ली गई चिकित्सा अवकाश, असाधारण अवकाश आदि सहित अवकाश की अवधि को न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि में

नहीं गिना जाएगा। हालांकि, चिकित्सा आधार पर अवकाश लेने वाले व्यक्ति के मामले में प्रोन्नति के लिए निर्धारित रेजिडेंसी अवधि की पूर्णता के निर्धारण के लिए अर्हक सेवा में तीन महीने तक की छुट दी जाएगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76102/डीआरडीएस/सीआर एंड आरआर/सी/एम/01/500/डी(आर एंड डी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2023

- **S.R.O. 72.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Service Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Service Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (1) "Assessment Board" means the Assessment Board constituted as specified in Schedule III;
 - (2) "Chairperson, DRDO" means the Chairperson of the Defence Research and Development Organisation;
 - (3) "discipline" means the subject in which scientists are assessed for promotion;
 - (4) "duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule VII;
 - (5) "Flexible Complementing Scheme" means the merit-based promotion system for Scientists employed in the Organisation under Flexible Complementing Scheme;
 - (6) "Government" means the Government of India;
 - (7) "Internal Screening Committee" means the Internal Screening Committee constituted as specified in Schedule I to evaluate the annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'B' to Scientist 'E';
 - (8) "Organisation" means the Defence Research and Development Organisation;
 - (9) "Peer Committee" means the respective Peer Committee constituted as specified in Schedule IV for assessing suitability for promotion;
 - (10) "Preliminary Screening Committee" means the respective Preliminary Screening Committee constituted as specified in Schedule II to evaluate the annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'F' or, as the case may be, Scientist 'G' and Scientist 'H';
 - (11) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
 - (12) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes, as are notified under article 341 of the Constitution, to be Scheduled Castes;
 - (13) "Scheduled Tribes" means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities, as are notified under article 342 of the Constitution, to be Scheduled Tribes;
 - (14) "Recruitment Board" means the Recruitment Board constituted as specified in Schedule V;
 - (15) "scientific experience" means the working experience in research or design or development or production in the required areas in scientific laboratories, institutions, Universities or industries;
 - (16) "Screening Committee" means the respective Screening Committee constituted as specified in Schedule II for interaction with Scientist 'F' or, as the case may be, with Scientist 'G';
 - (17) "Service" means the Defence Research and Development Service;
 - (18) "Research and Development Management" means techno-managerial ability to manage and coordinate science and technology related requirements at a senior level in the areas of project management, material management, resource management and organisational development in scientific laboratories, institutions, Universities or industries.

- 3. **Constitution of the Defence Research and Development Service.**—(1) There shall be constituted a service known as the Defence Research and Development Service consisting of Scientists appointed to the Service under rules 7 and 8.
 - (2) All posts included in the Service shall be classified as Central Civil Service Group 'A' posts.
- Grades, authorised strength and their review.—(1) The posts included in the Service, their number and pay scales, shall be such as specified in Schedule VII.
 - (2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.
 - (3) The Government may make temporary additions or deletions to the strength of the Service including encadred scientific posts, as deemed necessary from time to time.
 - (4) The Government may include in the Service any post other than those included in Schedule VII or exclude from the Service a post included in the said Schedule.
 - (5) The Government may appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in substantive capacity as it may deem fit.
- 5. **Member of the Service.**—(1) The following Scientists shall be members of the Service, namely:-
 - (a) Scientists appointed to the Service on regular basis prior to commencement of these rules and working in the Organisation or encadred in Scientific posts in any establishment under the Government in the Ministry of Defence as specified in rule 7, from the date of such appointment; and
 - (b) Scientists to be appointed to duty posts after the commencement of these rules, from the date they are so appointed.
 - (2) A Scientist appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall be deemed to be a member of the Service in the corresponding grade or post which he holds on regular basis on the date of commencement of these rules.
 - (3) A Scientist appointed under clause (b) of sub-rule (1) on regular basis shall be a member of the Service in the corresponding grade or post, from the date of such appointment.
 - (4) Without prejudice to sub-rules (1) to (3), the Government may, when considered necessary, appoint eminent Scientists, as Consultants or as Emeritus Scientists, on such terms and conditions as may be decided by the Government in each case.
- 6. **Method of recruitment.**—Recruitment to the Service shall be made by any of the following methods, the method of recruitment on each occasion being decided by the Government, in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirement of the same, namely:-
 - (1) by promotion;
 - (2) by direct recruitment through open advertisement or Talent Search Scheme as specified in Schedule XII or Trainee Scientist Scheme as specified in Schedule XI;
 - (3) by deputation of suitable Scientists and Technologists from the Central Government or State Government Departments, or on short term contract from Universities, Institutes of Technology, recognised research institutions, public sector undertakings, autonomous organisations and other non-Government bodies in India or abroad;
 - (4) by re-employment in civilian capacity of suitable officers on tenure postings from the Army, Navy and Air-force;
 - (5) by absorption of suitable officers who were appointed on deputation or short-term contract by the recruitment method mentioned in clause (3).
- 7. Protection of past service rendered to continue.—All existing Scientists, appointed to the Service and working in the Organisation or encadred in scientific posts in any establishment of the Government in the Ministry of Defence shall be deemed to have been appointed to the Service in the posts or grades corresponding to those which they were holding on regular basis on the date of commencement of these rules.
- 8. **Future maintenance of Service.**—(1) Vacancies against authorised strength in the Service shall be filled in the following manner, namely:-

- (a) eighty-five per cent. vacancies in the grade of Scientist 'B' shall be filled by direct recruitment and fifteen per cent. through limited departmental competitive examination, failing which, by direct recruitment.
 - **Note 1:** Any person holding the post of Technical Officer 'A' or Technical Officer 'B' and having five years' regular service and other technical personnel in the lower grades with ten years regular service in Defence Research and Development Organisation and possessing the educational qualifications prescribed for the post of Scientist 'B' in Schedule VIII, shall be eligible to appear at the said departmental competitive examination for which there shall be no upper age-limit.
 - **Note 2:** Unless otherwise specified by the Government in this behalf, no candidate shall be allowed to avail of more than five chances at the said departmental competitive examination;
- (b) any of the higher posts above that of Scientist 'B' shall be filled by any of the methods mentioned in rule 6, the method of recruitment being decided upon by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation on each occasion, depending on specific requirements and in the light of the qualifications required for that particular post, except in the case of Distinguished Scientist, which shall be filled by promotion;
- (c) in respect of posts involving Resource and Development, as the interests of the State and the objectives of the Organisation are of paramount importance, the Government shall decide the mode of filling up the posts, taking into consideration, the competence required of the incumbent of the post, the tasks to be achieved and availability of persons with the requisite qualifications and experience, both within the Service and outside.
- (2) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), not more than fifty vacancies per year in the grade of Scientist 'B' may be filled by appointment of 'Fellows' on their successful completion of training under the 'Fellowship Scheme', as laid down in Schedule X.
- (3) Promotion: (a) Promotion from one grade to the next higher grade in the service, except to the grade of Distinguished Scientist, shall be made under Flexible Complementing Scheme from amongst the officers possessing the educational qualifications as specified in Schedule VIII.
 - (b) Promotions up to the level of Scientist 'F' shall be made on the basis of evaluation of annual Performance Appraisal Reports, assessment interview by an Assessment Board followed by assessment by a Peer Committee as specified in Part B of Schedule IV.
 - (c) Promotions for Scientist 'F' to Scientist 'G', and for Scientist 'G' to Scientist 'H' (Outstanding Scientist), shall be made on the basis of the evaluation of annual Performance Appraisal Reports, interaction by the respective Screening Committee as specified in Schedule II and assessment by the Peer Committee as specified in Part A of Schedule IV.
 - (d) Promotions from Scientist 'H' (Outstanding Scientist) to Distinguished Scientist shall be made under personal upgradation on the basis of evaluation of Performance Appraisal Reports by Preliminary Screening Committee constituted to evaluate Performance Appraisal Reports of Scientist 'G' and Scientist 'H' as specified in Part B of Schedule II, and, assessment by the Peer Committee as specified in Part A of Schedule IV:

Provided that the number of promotions granted under this clause shall be such, as may be decided by the Central Government.

- (4) The Internal Screening Committee and Preliminary Screening Committee constituted as specified in Schedule I and II, respectively, shall review the annual Performance Appraisal Reports of
 - (i) Scientists 'B', on completion of minimum residency period of three years;
 - (ii) Scientist 'C', Scientist 'D' and Scientist 'E', on completion of minimum residency period of four years;
 - (iii) Scientist 'F' and Scientist 'G', on completion of minimum residency period of five years and four years, respectively; and
 - (iv) Scientist 'H', on completion of minimum residency period of three years,

as on the 30th June of the year to which the assessment boards or peer review pertain.

- (5) The residency period to meet the eligibility criteria for promotion may vary depending on the grading of annual Performance Appraisal Reports as specified in Schedule VI.
- (6) The Internal Screening Committee for Scientist 'B' to Scientist 'E' as specified in Schedule I shall evolve its own criteria and award average marks to the Scientists, after evaluation of grading in their respective Performance Appraisal Reports to decide eligible Scientists as specified in Schedule VI, for consideration by the Assessment Board.
- (7) The Preliminary Screening Committees for Scientist 'F' and Scientist 'G' as specified in Schedule II shall evolve its own criteria and award marks to Scientists, after evaluation of grading in their respective Performance Appraisal Reports to decide the eligible Scientists as specified in Schedule VI, for consideration by the respective Screening Committee.
- (8) The Preliminary Screening Committee as specified in Part B of Schedule II shall provide the list of Scientist 'H' who have completed prescribed minimum residency period along with their respective grading in annual Performance Appraisal Report to the Peer Committee as specified in Part A of Schedule IV for consideration for promotion to the grade of Distinguished Scientist.
- (9) The Internal Screening Committee or, as the case may be, Preliminary Screening Committee shall follow the criteria enumerated below while deciding eligibility of Scientists for assessment, namely:-
 - (i) screening shall be based on not more than last five years annual Performance Appraisal Reports in the grade;
 - (ii) Scientists 'B', Scientists 'C', and Scientists 'D', securing less than an average of seventy per cent. marks, and Scientists 'E' or above securing less than an average of seventy-five per cent. marks, or those having less than prescribed marks specified in Schedule VI in more than fifty per cent. of their annual Performance Appraisal Reports under consideration, shall not be eligible for assessment;
 - (iii) relaxation up-to three months in the qualifying service for eligibility for assessment shall be given to direct recruits or promotees who join after the 1st July for reasons beyond their control;
 - (iv) counting of leave period towards completion of laid down residency period for determining eligibility for assessment for promotion to a particular grade shall be as specified in Schedule XIII;
 - (v) in case of permanent absorption of a Scientist on deputation in the same grade in the Service from other Scientific Departments, where Flexible Complementing Scheme is applicable, the entire service of that Scientist in the same grade including in the parent Department shall be counted towards residency period;
 - (vi) if an officer comes on deputation on a higher grade into the Service and later permanently absorbed in the same grade in the Service, the period spent on deputation shall be counted for residency period for consideration for promotion to the next higher grade;
 - (vii) on regular appointment in the Service of a Scientist, in continuation of adhoc appointment, the period of service rendered in adhoc capacity in the grade shall count towards residency period provided that the officer is selected for regular appointment at the first attempt;
 - (viii) notwithstanding anything contained in these rules, a relaxation of one year in the minimum residency period can be granted to a Scientist 'F' provided that he earns consistently ninety per cent. or above marks in four successive annual Performance Appraisal Reports in the grade;
 - (ix) notwithstanding anything contained in these rules, a relaxation of one year in the minimum residency period can be granted to a Scientist 'C' or Scientist 'D' or Scientist 'E' provided that he earns consistently ninety per cent. and above marks in three successive annual Performance Appraisal Reports in the grade;
 - (x) relaxation in the minimum prescribed residency period in terms of clauses (viii) and (ix) above shall be limited to two times in the entire career of any Scientist in the Service;
 - (xi) the mandatory trainings in the respective grades, as decided by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation shall be considered by the respective Screening Committee or Assessment Board, as the case may be, for deciding eligibility of the Scientists.
- (10) (i) The Assessment Board for interviewing candidates for promotion to the grades of Scientist 'C'

- and above, up-to the level of Scientist 'F', shall be constituted as specified in Schedule III and more than one Assessment Boards may be constituted at any one time in various stations.
- (ii) The respective Screening Committee as specified in Schedule II shall interact with Scientist 'F' and Scientist 'G' as recommended by the Preliminary Screening Committee and based on the criteria of functional competency, work output and personal attributes, such Screening Committee shall assess each Scientist for promotion to the next higher rank and grade them and thereafter that Screening Committee shall prepare a list and submit it to the Peer Committee as specified in Part A of Schedule IV for consideration and recommendation.
- (iii) The Peer Committee as specified in Part A of Schedule IV shall assess the suitability of each Scientist in the list after taking into consideration their merit, achievement, innovation, leadership and managerial qualities, and shall make recommendation to the Central Government in respect of Scientists, who are adjudged suitable for promotion to the next higher grade of Scientist 'G' or, as the case may be, Scientist 'H'.
- (11) Assessment Boards or Peer Committee shall be convened at least once in a year or at such intervals as may be specified by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation.
- (12) The Assessment Board for promotion up-to the level of Scientist 'F' shall devise its criteria to assess the candidates and submit its grading or marks awarded to individual Scientists to a Peer Committee as specified in Part B of Schedule IV, which shall assess the suitability of each Scientist in the list forwarded by the Assessment Board after taking into account the grading awarded by the Assessment Board, the achievements, contribution and potential of the Scientists, and shall submit its recommendations as "Fit for Promotion" or "Not Yet Fit" or "Fitness shall be deferred by one year".
- (13) The recommendations of the Peer Committee shall be implemented from first July of the year to which Peer Committee pertains, except in the case of Scientist 'G', Scientist 'H' (Outstanding Scientist) and Distinguished Scientist, in which cases the date of promotion as specified in sub-rule (16) shall apply and that date shall be treated as the date of selection for the purpose of determining their seniority in the grade in respect of all Scientists cleared for promotion provided, they are on duty on that date:
 - Provided that the Scientists who are away on leave on the date, shall assume charge in the grade to which they are promoted with effect from the date they resume duty but this shall not affect their date of selection or their inter-se-seniority in the higher grade vis-à-vis the other Scientists cleared for promotion by the same Peer Committee.
- (14) In case of the Scientists assessed and found fit for promotion but are unable to assume charge of the higher grade on the effective date for being away on study leave (combined with any other leave), sanctioned by the competent authority, for prosecuting higher studies or receiving specialised training in professional and technical subjects having a direct or close connection with the Organisation programmes, on resumption, he may reckon notional seniority in the higher grade from the date of his selection to that grade for the purposes of counting of residency period for consideration for promotion to the next higher grade provided the Chairperson, Defence Research and Development Oraganisation is satisfied about the performance of the Scientist during the course of study or training.
- (15) In so far as Scientists undergoing training abroad (under Fundamental Rule 51), they shall be promoted to the next higher grade with effect from the date they would have been so promoted had they not proceeded on training, subject to the following conditions being fulfilled, namely: -
 - (i) the period of such training is treated as duty under clause (b) of sub-rule (6) of Fundamental Rule 9;
 - (ii) they have been assessed and found fit for promotion to the next higher grade by the Peer Committee; and
 - (iii) all the seniors, except those recommended as "Not Yet Fit" for promotion to the particular grade, available have been promoted to that grade.
- (16) Promotions to the grade of Scientist 'G', Scientist 'H' (Outstanding Scientist) and Distinguished Scientist shall be effective from the date of assumption of charge of the post after due approval of the competent authority.
- (17) Under the Flexible Complementing Scheme, on promotion of a Scientist from one grade to the next higher grade, the post held by him shall stand upgraded automatically and personal to him for the duration of holding the *in-situ* promotion post and the promotions under the said scheme are not based on the vacancy and seniority.

- (18) The number of posts at different grades may vary on account of merit based promotions under Flexible Complementing Scheme to the grades of Scientist 'C' to Scientist 'H' or personal upgradation in the grade of Distinguished Scientist as decided by the Government, subject to the condition that the total number of posts of Scientist 'B' to Distinguished Scientist, taken together shall not exceed the total permanent posts of Scientists authorised to the Organisation.
- (19) **Direct Recruitment:** (a) Selection by direct recruitment under sub-rule (2) of rule 6, shall be by interview, or written test, or both, by the Recruitment Board constituted as specified in Schedule V, and the candidates shall be within the age-limit as specified in column (5) of Schedule VIII.
 - (b) The educational qualifications and experience for appointment to various posts in the service under the methods specified in this sub-rule shall be as specified in Schedule VIII:

Provided that the age-limit specified under column (5) of Schedule VIII shall not apply to the selection by methods specified in sub-rules (1) and (3) to (5) of rule 6:

Provided further that the specific disciplines required for the qualification and experience for the posts specified shall be as specified by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation from time to time.

- (20) **Deputation:** (a) Selection by deputation under sub-rule (3) of rule 6, shall be by interview, or written test, or both, by the Recruitment Board constituted as specified in Schedule V, and the educational qualifications, experience, field of selection and age for appointment to various posts in the Service under the methods specified in this sub-rule shall be as specified in Schedule IX.
 - (b) Officers appointed on deputation by the method specified in clause (3) of the rule 6 shall be initially appointed for a period of three years, which may be extended or curtailed at the discretion of the Chairperson, Defence Research and Development Organisation.
 - (c) Where it is proposed to extend or curtail the period of deputation, the Chairperson, Defence Research and Development Organisation shall record the reasons therefor in writing and give notice in writing of his intention so to do to the concerned officers.
 - (d) The maximum period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding an appointment in the same organisation or Department shall not exceed five years and deputation allowance shall be admissible only for the first four years of deputation.
- (21) **Short-term contract:** (a) Selection on short-term contract under sub-rule (3) of rule 6, shall be by interview, or written test, or both, by the Recruitment Board constituted as specified in Schedule V and the educational qualifications, experience, field of selection and age for appointment to various posts in the Service under the methods specified in this sub-rule shall be as specified in Schedule IX.
 - (b) Officers appointed on short-term contract by the method specified in clause (3) of rule 6 shall ordinarily be appointed for a period of three years, which may be extended or curtailed at the discretion of the Chairperson, Defence Research and Development Organisation.
 - (c) Where it is proposed to extend or curtail the period of short-term contract, the Chairperson, Defence Research and Development Organisation shall record the reasons therefore in writing and give notice in writing of his intention so to do to the concerned officer.
 - (d) The period of short-term contract may be renewed at the end of three years and the maximum period of short-term contract shall not exceed five years.
- (22) Re-employment: (a) Appointment by re-employment in civilian capacity of suitable officers on tenure posting from the Army, Navy and Air-force shall be decided by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation.
 - (b) Selection by re-employment under sub-rule (4) of rule 6, shall be by interview, or written test, or both, by the Recruitment Board constituted as specified in Schedule V and the educational qualifications, experience, field of selection and age for appointment to various posts in the Service under the methods specified in this sub-rule shall be as specified in Schedule IX.
- (23) **Absorption:** (a) Selection by deputation-cum-absorption under sub-rule (5) of rule 6, shall be by interview, or written test, or both, by the Recruitment Board constituted as specified in Schedule V and the educational qualifications, experience, field of selection and age for appointment to various posts in the Service under the methods specified in this sub-rule shall be as specified in Schedule IX.

- (b) Officers appointed on deputation from the Central Government or State Government by the method specified in clause (3) of rule 6 may be permanently absorbed in the post or grade on the basis of their performance.
- (24) The specific disciplines required for the qualification and experience for the posts by selection under sub-rules (19) to (21) shall be as specified by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation from time to time.
- (25) The seniority of the direct recruits and promotees shall be governed by the instructions as are applicable to Central Government servants, unless specified by Chairperson, Defence Research and Development Organisation and the relative seniority of officers appointed to the Service in pursuance of any of the methods under sub-rules (3), (4) and (5) of rule 6 in relation to direct recruits and promotees shall be determined on the basis of the chronology of selection.
- 9. **Probation and confirmation.**—(1) Persons appointed to the grade of Scientist 'B' of the Service either by direct recruitment, or by promotion, or by re-employment, before the age of superannuation, shall be on probation for a period of two years and persons appointed to any other grade of the Service, that is, Scientist 'C', Scientist 'D', Scientist 'E', Scientist 'F', Scientist 'G' and Scientist 'H'(Outstanding Scientist), either by direct recruitment, or by re-employment, before the age of superannuation, shall be placed on probation for a period of one year.
 - (2) There shall be no probation for persons appointed on deputation, short-term contract, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.
 - (3) The Chairperson, Defence Research and Development Organisation may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time and in cases, where it is proposed to extend the period of probation, the Chairperson, Defence Research and Development Organisation shall give notice in writing of his intention to do so, to the officer within twelve weeks after expiry of the initial or extended period of probation.
 - (4) On completion of the period of probation, or any extension thereof, officers, if considered fit, may be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade.
 - (5) If during the period of probation referred to in sub rule (1) of this rule or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that a candidate is not fit for appointment in a substantive capacity or if, at any time during such period of probation, or extension thereof the Central Government is satisfied that the candidate will not be fit for confirmation on the expiry of such period of probation or extension thereof the Central Government may discharge or revert the candidate to his substantive post as the case may be or pass such orders as they deem fit.
 - (6) During the period of probation, the candidates may be required to undergo such courses of training and orientation and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as may be prescribed by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation as a condition to satisfactory completion of the probation.
- 10. Head of Service.—The Chairperson, Defence Research and Development Organisation shall be the Head of the Service and shall be responsible for deployment of officers of the service to the best advantage of the Organisation and the Government, including deployment of senior Scientist in his present grade as Director General, or Director, or any such designated position in the Organisation to meet its functional requirements.
- Liability for Service.—(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.
 - (2) Officers, if deputed, shall be liable to serve in any other Ministry or Department of the Government of India or Corporations or Industrial Undertakings of the Government.
 - (3) Persons possessing the engineering or medical qualifications and recruited to the Service, whether before or after the commencement of these rules, shall, if so required, be liable to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for a period of not less than four years, including the period spent in training, if any provided that—
 - they shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment; and
 - (b) they shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years in the case of engineers and forty-five years in the case of doctors.
 - (4) Persons appointed to the Service shall be liable to field service (including service on land or travel by

- service aircrafts or naval ships) to a limited extent in respect of research and development or such other work as may be approved by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation.
- (5) Officers selected for assignments involving limited field service shall undergo such special medical check-up as may be specified, either at the time of selection or when they proceed on field service, as the case may be.
- (6) Officers appointed to the service shall be liable to undergo such training including mandatory trainings and be detailed on such courses or instruction in India or abroad, as may be decided by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation from time to time, for the purpose of preparing the officer to become competent and proficient to undertake the Defence Research and Development work.
- (7) An officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more, or an officer detailed for training outside India, or with private firms, or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his Service.
- 12. **Retirement benefits.**—(1) All members of the Service inducted in the Service prior to the 1stJanuary, 2004 shall be governed by the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, as amended, and those inducted in the Service on or after the 1stJanuary, 2004 shall be governed by New Pension Scheme of the Government and in accordance with the instructions issued in this regard by the Central Government.
 - (2) Scientist appointed to the post of Scientist 'C' and above in the Service, shall be entitled to the benefits of added years of service for purpose of superannuation pension, admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and this benefit shall also be admissible to Scientists who were appointed to comparable post in the Defence Science Service and have been encadred in the Service.
- 13. **Other conditions of service.**—(1) The other conditions of service of the members of the Service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, *mutatismutandis* and subject to any special orders issued by the Organisation in respect of the Service, be the same as those applicable to officers (Civilian) of corresponding status in similar scientific institutions or organisations under the Government of India.
 - (2) In the matter of conduct and discipline, officers of the Service shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time.
 - (3) All posts in the Service shall be classified as Group 'A' posts and shall be deemed to be technical posts for purposes of medical standards as specified in the Medical Regulations and Medical Report form for the Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Foreign Service, Indian Forest Service and the Central Services issued by the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health).
 - (4) (a) Requests of officers of the Service for leave to prosecute higher studies in India or abroad, which are not considered to be of any interest to Organisation, shall not be granted.
 - (b) When as officer of the Service applies for leave for undergoing course or training or study, which is considered to have a direct bearing on subjects of interest to the Organisation, and if such study or training will, as a consequence, serve the interest of the Organisation, although not to the extent of placing the officer on deputation, the officer may be granted study leave on the following conditions, namely:-
 - the Organisation shall not pay for the travel of such officer to and from the place of study or training;
 - (ii) the leave sanctioned shall not normally be more than twelve months and, in no case, shall exceed two years in the entire period of service, except when the leave is applied for obtaining a Doctorate or a similar qualification, in which case the period of leave may be extended to a minimum period required for acquiring such a qualification but not exceeding four years in the entire period of service;
 - (iii) study leave in excess of twelve months may be granted only if the officer has rendered more than five years' service and at least three years continuous service in the Organisation;
 - (iv) study leave may be taken in combination with leave of any other kind subject to the condition that study leave in combination with regular leave other than extraordinary leave shall not exceed twenty-eight months and the maximum period of absence including

the study leave shall not exceed four years in the entire period of service;

- a bond shall be obtained from the officer binding him to serve the Organisation after the completion of the study or training in India or abroad for a minimum period of three years and a maximum period of five years;
- (vi) in the event of the officer returning to duty post within stipulated period, the officer's study leave period shall count for the purposes, such as, pay, pension and increment;
- (vii) in the event of the officer not returning to duty post after the expiry of the study leave, the officer shall be liable to pay the bond money to the Organisation and at the same time the service of the officer may be terminated;
- (viii) in regard to all other matters including leave salary and study allowance, the rules regarding study leave, as contained in the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time, shall be applicable to the members of the Service.
- 14. **Disqualification.** No person,—
 - (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 15. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 16. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 17. **Interpretation.**—If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE I

[See rules 2(7), 8(4) and 8(6)]

The Internal Screening Committee to review the performance appraisal reports of Scientist 'B' to Scientist 'E'-

(i)	Director General (Human Resource) or Director General (Corporate)	-	Chairperson;
(ii)	Three Directors from any Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments or headquarters	-	Members;
(iii)	Director of Personnel	-	Member;
(iv)	Director, Human Resource Development	_	Member.

Note 1: The absence of any Member of the Committee, other than the Chairperson, shall not invalidate the proceedings of the Internal Screening Committee.

Note 2: Advisor or Scientist 'G' can be nominated in place of Director.

SCHEDULE II

[See rules 2(4), 2(10), 2(16), 8(3), 8(4), 8(7), 8(8), 8(9) and 8(10)]

Part A

The Preliminary Screening Committee, to evaluate Annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'F', and Screening Committee for interaction with Scientist 'F'

- (a) Preliminary Screening Committee
 - (i) A Distinguished Scientist to be nominated by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation

Chairperson;

(ii) Two Scientists not below the level of Scientist 'H' to be nominated by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation Members.

(b) Screening Committee

(i) An external expert nominated by Chairperson, Defence Research and Development Organisation from a panel of co-chairpersons approved by the Raksha Mantri

Chairperson;

(ii) Two Scientists not below the level of Scientist 'H' to be nominated by the Chairperson,Defence Research and Development Organisation

Members;

(iii) Two external members (one subject Expert and one Management Specialist) to be nominated by the Chairperson, Recruitment and Assessment Centre from Academic Institutions, Research and Development Organisation, Industries or Specialists in particular discipline or field

Members.

Part B

The Preliminary Screening Committee to screen Annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'G' and Scientist 'H' and Screening Committee for interaction with Scientist 'G' -

- (a) Preliminary Screening Committee
 - (i) A Distinguished Scientist to be nominated by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation

Chairperson;

(ii) Director General (Human Resource), Department of Defence Research and Development

Member;

(iii) Director, Directorate of Personnel, Department of Defence Research and Development

Secretary (Non-

Member).

(b) Screening Committee

(i) An external expert nominated by Chairperson, Defence Research and Development Organisation from a panel of co-chairpersons approved by the Raksha Mantri Chairperson;

(ii) Three Scientists not below the level of "Distinguished Scientist" nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development"

Members;

(iii) Two external members (one subject Expert and one Management Specialist) to be nominated by the Chairperson, Recruitment and Assessment Centre from Academic Institutions, Research and Development Organisation, Industries or Specialists in particular discipline or field

Members.

Note: The absence of any Member of the Committee other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Preliminary Screening Committee and Screening Committee;

SCHEDULE III

[See rule 2(1) and 8(10)]

The Assessment Board for assessing suitability of Scientist for promotion upto

Scientist 'F' level in Defence Research and Development Service

Chairperson - To be appointed by the Central Government;

To be appointed by the Chairperson from a panel approved by the Co-chairperson

Central Government;

One Core Member To be nominated by the Chairperson, Defence Research and

> Development Organisation from amongst serving or recently retired senior Defence Research and Development Service Scientist;

To be nominated by Chairperson, Defence Research and (iii) One Departmental member

Development Organisation;

To be nominated by the Chairperson, from Academic Institutions, Two External members

Research and Development Organisations in particular discipline or

Director of the Laboratory or its

representative

Non-voting Member.

Note:

- The absence of any Member of the Assessment Board, other than the Chairperson, shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board.
- Chairperson can nominate more than two external Members, wherever it is considered necessary, for proper evaluation of Scientists.
- (iii) Serial Nos. (i) and (ii) shall form the Core Committee of the Board and shall not normally change during the currency of the Board.
- (iv) Co-opted Member may be nominated by the Chairperson as per reservation in Scientific and Technical posts.

SCHEDULE IV

[See rules 2(9), 8(3), 8(8), 8(10) and 8(12)]

Part A

The Peer Committee for assessing suitability of Scientist 'F' and Scientist 'G' for promotion to the next higher grade and for assessing suitability for appointment of Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in Defence Research and Development Service.

- Chairperson, Recruitment and Assessment Centre, Department of Defence Research and Chairperson; Development
- Secretary, Department of Defence Research and Development Member: (ii)
- Secretary, Department of Personnel and Training or his representative Member; (iii)
- (iv) Any two Secretaries from other Scientific Departments of the Central Government to be Members: nominated by the Chairperson in consultation with the Secretary, Department of Defence Research and Development
- (v) An eminent Scientist or Management Specialist, to be nominated by the Chairperson Member:
- (vi) One Distinguished Scientist of Defence Research and Development Organisation to be Member. nominated by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation

Part B

Peer Committee for assessing suitability of Scientist 'B' to Scientist 'E' for promotion to the next higher grade.

- (i) Chairperson, Recruitment and Assessment Centre, Department of Defence Research and Chairperson;
 Development
- (ii) Two external members not below the rank of Scientist 'H'

Members:

(iii) Two internal members not below the rank of Scientists 'H'

Members.

Note:

- 1. The absence of any Member of the Peer Committee, other than the Chairperson, shall not invalidate the proceedings of the Peer Committee.
- 2. For conferring the grade of Distinguished Scientist, the Peer Committee shall comprise as listed at (i) to (v) in Part A of the Table above.
- 3. Co-opted member may be nominated by the Chairperson as per reservation in Scientific and Technical posts.

SCHEDULE V

[See rules 2(14), 8(19), 8(20), 8(21), 8(22) and 8(23)]

The Recruitment Board for assessing suitability of candidates for recruitment to Defence Research and Development Service through open advertisement or Talent Search Scheme or Trainee Scientist Scheme or Deputation or short-term contract or Re-employment or Absorption

) Chairperson

- To be appointed by the Central Government;

or

To be appointed by the Chairperson from a panel approved by the Central

Co-chairperson - Government;

(ii) Two external Members

- To be appointed by the Chairperson from Academic Institutions, Research and Development Organisations, Industries or specialists in particular

discipline or field;

(iii) Two Departmental Members - To be nominated by Chairperson, Defence Research and Development Organisation.

Note: The absence of a Member of the Board, other than the Chairperson, shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board.

SCHEDULE VI								
	[See rules 8(5), 8(6), 8(7) and 8(9)]							
Residency in years	Residency in year Minimum Average Marks (%) in Annual Performance Appraisal Report required for Assessment for Promotion							
	Scientist 'B'	Scientist 'C'	Scientist 'D'	Scientist 'E'	Scientist 'F'	Scientist 'G'		
3	85	#	#	#	-			
4	80	85	85	85	#	90&		
5	75	80	80	80	85	85@		
6	70	75	75	75	80	85*		
7	70	70	70	75	75	80		
8 or more	70	70	70	75	75	75		

Eligibility Criteria for assessment for promotion of Scientist 'B' to Scientist 'G'

- # Scientist 'C' to Scientist 'F' securing consistently 90% or above marks in each year shall qualify for relaxation of one year in minimum residency and such relaxation shall be limited to two times in the entire career of a Scientist as prescribed in clause (x) of sub-rule (9) of rule 8.
- & Requires 90% marks or above consistently in Annual Performance Appraisal Reports of each year.
- @ Requires 85% marks or above consistently in Annual Performance Appraisal Reports of each year.
- * Requires 80% marks or above in preceding 5 years Annual Performance Reports and not less than 85% marks in the preceding 3 years Annual Performance Reports.

Note 1: To be eligible for assessment to the next higher grade, Scientists should secure minimum average marks in their Annual Performance Reports under consideration as indicated above and should also secure minimum marks in not less than 50% of their Annual Performance Reports under consideration as specified for different residency periods in different grades as tabulated above.

Note 2:

- (i) For Scientist 'B' to Scientist 'D' those having less than 70% as average marks in their Annual Performance Reports and those having less than 70% marks in more than 50% of their Annual Performance Reports under consideration, shall not be eligible for the assessment.
 - (ii) For Scientist 'E' and above those having less than 75% as average marks in their Annual Performance Reports and those having less than 75% marks in more than 50% of their Annual Performance Reports under consideration, shall not be eligible for the assessment.
 - (iii) Minimum 03 Annual Performance Reports in the present grade shall be required to be eligible for promotion in all grades except for Scientist 'B' appearing after three Years residency period for promotion, where minimum two Annual Performance Reports will be considered for eligibility.

SCHEDULE VII

[See rules 2(4), 4(1) and 4(4)]

Number and scales of pay of Group 'A' posts included

in the Defence Research and Development Service.

in the Detence Research and Development Service.				
Sl. No.	Designation of post	Level in the pay matrix	Number of po	osts
1.	Scientist 'B'	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500)		
2.	Scientist 'C'	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700)		
3.	Scientist 'D'	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200)		
4.	Scientist 'E'	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100 – 215900)		7773
5.	Scientist 'F'	Level-13A in the pay matrix (Rs. 131100 – 216600)		
6.	Scientist 'G'	Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200 – 218200)		
7.	Scientist 'H' (Outstanding Scientist)	Level-15 in the pay matrix (Rs. 182200 – 224100)		
8.	Distinguished Scientist	Level-16 in the pay matrix (Rs. 205400 – 224400)	(Personal upgradation, number as decided by Government)	
9.	Scientific Adviser to Raksha Mantri and	As decided by the Central Government from time to time.	1	

Chairpe	son, Defence		
Research	n and		
Develop	ment		
Organis	ntion		

Note: All the posts from Scientist 'B' to Scientist 'H' (Outstanding Scientist) are covered under Merit based Flexible Complementing Scheme.

SCHEDULE VIII

[See rule 8(1), (3) and (19)]

Mi	Minimum educational and other qualifications, experience and age-limit for direct recruitment to various Group 'A' posts included in the Defence Research and Development Service.						
	E		and experience required for direct recruits.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
Sl.No.	Name of post.	For posts requiring qualifications in Scientific or Engineering or Technical Subjects.	For posts requiring medical qualifications.	Age-limit for direct recruits.			
1.	Scientist 'B'.	(a) Essential: At least First division Master's Degree in Science subjects, Mathematics or Psychology or First division Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent. (b) Desirable: Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.	Essential: (i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Medical qualifications included in Part II of the said Third Schedule to the said Act should also fulfil the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the said Act; or (ii) A Dental qualification in the Part I, Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948); or (iii) A Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry duly recognised by the Veterinary Council of India; (iv) Completion of compulsory rotating internship.	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Scientist	(a) Essential:	Essential:	Not
	'C'.			exceeding
		(i) at least First division Master's	(i) a medical qualification included in the	forty years
		Degree in Science subjects,	First Schedule or the Second Schedule or the	of age
		Mathematics or Psychology or First	Part II of the Third Schedule to the Indian	(Relaxable
		division Degree in Engineering or	Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).	for the
		Technology or Metallurgy from a	Holders of medical qualifications included in	Government
		recognised University or equivalent.	Part II of the said Third Schedule should also	servants
		fulfil the conditions specified in sub-sect		upto the age
		(ii) three years' experience in	(3) of section 13 of the said Act;	of five years
		research or design or development	or	in
		or production in the required areas.	(ii) a dental qualifications in the Part I, Part II	accordance
			or Part III of the Schedule to the Dentists Act,	with the
		(iii) weightage for higher	1948 (16 of 1948);	instructions
		qualification to be equated as	or	or orders
		research experience for lateral	(iii) a Bachelor's Degree in Veterinary	issued by
		recruitment as under, -	Science and Animal Husbandry duly	the Central

	recognised by the Veterinary Council of	Government
A. Post Graduate Degree in	India.	from time to
Engineering		time in this
- Two Years.	(iv) required Post-Graduate Degree	regard).
B. Doctorate Degree in Science or	qualifications.	
Mathematics		
- Three Years.	(v) three years practical and administrative	
C. Doctorate Degree in Engineering	experience in the required field of medical	
- Four Years.	relief, medical research, medical education or	
	public health organisation in Medical or	
(b) Desirable:	Dental or Veterinary Science and Animal	
	Husbandry.	
(i) Doctorate Degree in Science,		
Mathematics or Psychology or	(vi) weightage for higher qualification to be	
Master's Degree in Engineering or	equated as research experience for lateral	
Technology or Metallurgy in the	recruitment as under, -	
subject concerned.		
	A. Post Graduate Degree in Dental Science or	
(iii) knowledge of German,	Veterinary Science and Animal Husbandry -	
French, Russian, Japanese or	Two years;	
Chinese.	B. Post Graduate Degree in Medicine - Three	
	years.	

			years.	
l)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Scientist	(a) Essential:	Essential:	Not
	'D'.			exceeding
		(i) at least First division	(i) a medical qualification included in the	fifty years
		Master's Degree in Science	First Schedule or the Second Schedule or the	age.
		subjects, Mathematics or	Part II of the Third Schedule to the Indian	(Relaxable
		Psychology or First division	Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).	for t
		Degree in Engineering,	Holders of Medical qualifications included	Governme
		Technology or Metallurgy from	in Part II of the said Third Schedule of the	servants up
		a recognised University or	said Act should also fulfil the conditions	the age
		equivalent;	specified in sub-section (3) of section 13 of	five years
			the said Act;	accordance
		(ii) seven years' experience in		with t
		research or design or	or	instruction
		development or production in the	(ii) a dental qualification in the Part I, Part	or orde
		required areas;	II or Part III of the Schedule to the Dentists	issued by t
		•	Act, 1948 (16 of 1948).	Central
		(iii) weightage for higher		Governme
		qualification to be equated as	or	from time
		research experience for lateral	(iii) a Bachelor's Degree in Veterinary	time in the
		recruitment as under,-	Science and Animal Husbandry duly	regard).
		A. Post Graduate Degree in	recognised by the Veterinary Council of	8
		Engineering	India.	
		- Two Years;		
		B. Doctorate Degree in Science	(iv) required Post-Graduate Degree	
		or Mathematics	qualification.	
		- Three Years.	4	
		C. Doctorate Degree in	(v) seven years practical and administrative	
		Engineering Engineering	experience in the required field of medical	
		– Four years.	relief, medical research, medical education	
		rour years.	or public health organisation in Medical or	
		(b) Desirable:	Dental or Veterinary Science and Animal	
		(c) Zesirabic.	Husbandry.	
		(i) Post Doctoral in Science or	indomin's.	
		Engineering or Doctorate Degree	(vi) weightage for higher qualification to be	
		in Science, Mathematics or	equated as research experience for lateral	
		Psychology or Doctorate Degree	recruitment as under,-	
		in Engineering or Master's	recruitment as unuer,-	

Technology or Metallurgy in the	A. Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry – Two Years;
(ii) Knowledge of German,	B. Post Graduate Degree in Medicine-
French, Russian, Japanese or	Three Years.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Scientist 'E'.	(a) Essential:	Essential:	(3)
	Belefitist E.	(a) Essentiat.	Discillat.	Not exceeding fifty
		(i) at least First	(i) a medical	years of age.
		division Master's	qualification	(Relaxable for the
		Degree in Science	included in the First	Government
		subjects,	Schedule or the	servants upto the
		Mathematics or	Second Schedule or	age of five years in
		Psychology or First		accordance with the
		division Degree in	Schedule to the	instructions or
		Engineering,	Indian Medical	orders issued by the
		Technology or	Council Act, 1956	Central Government
		Metallurgy from a	(102 of 1956).	from time to time in
		recognised	Holders of medical	this regard).
		University or	qualifications	and regular.
		equivalent;	included in Part II of	
			the said Third	
		(ii) ten years'	Schedule of the said	
		experience in	Act should also fulfil	
		research or design or	the conditions	
		development or	specified in sub-	
		production in the	section (3) of section	
		required areas;	13 of the said Act;	
		(iii) weightage for	or	
		higher qualification	(ii) a dental	
		to be equated as	qualification in the	
		research experience	Part I, Part II or Part	
		for lateral	III of the Schedule to	
		recruitment as	the Dentists Act,	
		under,-	1948 (16 of 1948);	
		·	or	
		A. Post Graduate	OI	
		Degree in	(iii) a Bachelor's	
		Engineering	Degree in Veterinary	
		- Two Years;	Science and Animal	
		B. Doctorate Degree	Husbandry duly	
		in Science or	recognised by the	
		Mathematics	Veterinary Council	
		- Three Years.	of India;	
		C. Doctorate	(iv) Required Post-	
		Degree in	Graduate Degree	
		Engineering	qualification.	
		Four Years.	1	
			(v) Ten years	
		(b) Desirable:	practical and	
			administrative	
		(i) Post	experience in the	
		Doctoral in Science	required field of	
		or Engineering or	medical relief,	

Doctorate Degree in	medical research,	
Science,	medical education or	
Mathematics or	public health	
Psychology or	organisation in	
Doctorate Degree in	Medical or Dental or	
Engineering or	Veterinary Science	
Master's Degree in	and Animal	
Engineering or	Husbandry.	
Technology or	·	
Metallurgy in the		
subject concerned or	(vi) weightage for	
Masters Degree in	higher qualification	
Management in	to be equated as	
relevant field;	research experience	
,	for lateral	
(ii) knowledge	recruitment as	
of German, French,	under,-	
Russian, Japanese	,	
or Chinese.		
	A. Post Graduate	
(iii) three years'	Degree in Dental	
experience in	Science or	
Research and	Veterinary Science	
Development	and Animal	
Management to	Husbandry – Two	
manage and	Years.	
coordinate science		
and technology		
related activities in	B. Post Graduate	
the area of the	Degree in Medicine	
Project Management	- Three Years.	
or Material		
Management or		
Resource		
_		
Development.		
Resource Management or Organisational		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Scientist	(a) Essential:	Essential:	Not
	'F'.			exceeding
		(i) at least First division	(i) a medical qualification included in the	fifty years of
		Master's Degree in Science	First Schedule or the Second Schedule or Part	age.
		subjects or Mathematics or	II of the Third Schedule to the Indian Medical	(Relaxable
		Psychology or at least First	Council Act 1956 (102 of 1956). Holders of	for the
		division Degree in Engineering	Medical qualifications included in Part II of	Government
		or Technology or Metallurgy	the said Third Schedule of the said Act should	servants upto
		from a recognised University or	also fulfil the conditions specified in	the age of
		equivalent;	sub-section (3) of section 13 of the said Act;	five years in
				accordance
		(ii) thirteen years' practical	or	with the
		experience in research or design	(ii) a dental qualification in the Part I, Part II	instructions
		or development or production in	or Part III of the Schedule to the Dentists Act,	or orders
		the required areas;	1948 (16 of 1948);	issued by the
				Central
		(iii) weightage for higher	or	Government
		qualification to be equated as	(iii) a Bachelor's Degree in Veterinary	from time to
		research experience for lateral	Science and Animal Husbandry duly	time in this

recruitment as under, - A. Post Graduate Degree in Engineering – Two Years; B. Doctorate Degree in Science or Mathematics - Three Years; C. Doctorate Degree in Engineering – Four Years.	recognised by the Veterinary Council of India; (iv) required Post-Graduate Degree qualification; (v) Thirteen years practical and administrative experience in the required field of medical relief, medical research, medical education or public health organisation in Medical or Dental or Veterinary Science and Animal Husbandry;
(b) Desirable: (i) Post Doctoral in Science or Engineering or Doctorate Degree in Science, Mathematics or Psychology or Doctorate Degree in Engineering or Master's Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned or Masters Degree in Management in relevant field;	 (vi) weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under, - A. Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry – Two Years; B. Post Graduate Degree in Medicine - Three Years.
(i) knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese. (iii) four years' experience in Research and Development	
Management to manage and coordinate science and technology related activities in the area of Project Management or Material Management or Resource Management or Organisational Development.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Scientist	(a) Essential:	Essential:	Not
	'G'.			exceeding
		(i) at least First division	(i) a medical qualification included in the	fifty years
		Master's Degree in Science	First Schedule or the Second Schedule or	of age.
		subjects or Mathematics or	Part II of the Third Schedule to the Indian	(Relaxable
		Psychology or at least First	Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).	for the
		division Degree in Engineering,	Holders of Medical qualifications included	Governme
		Technology or Metallurgy from a	in Part II of the said Third Schedule of the	nt servants
		recognised University or	said Act should also fulfil the conditions	upto the
		equivalent;	specified in sub-section (3) of section 13 of	age of five
			the said Act;	years in
		(ii) fifteen years' practical		accordanc
		experience in research or design	or	e with the
		or development or production in	(ii) a dental qualification in the Part I, Part	instruction
		the required areas;	II or Part III of the Schedule to the Dentists	s or orders
			Act, 1948 (16 of 1948);	issued by
		(iii) weightage for higher		the Central
		qualification to be equated as	or	Governme
		research experience for lateral	(iii) a Bachelor's Degree in Veterinary	nt from

recruitment as under, -	Science and Animal Husbandry duly recognised by the Veterinary Council of	time to
recruitment as under, - A. Post Graduate Degree in Engineering - Two Years. B. Doctorate Degree in Science or Mathematics - Three Years. C. Doctorate Degree in Engineering - Four Years. (b) Desirable: (i) Post Doctoral in Science or Engineering or Doctorate Degree in Science, Mathematics or Psychology or Doctorate Degree in Engineering or Master's Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned or Masters Degree in Management in relevant field; (ii) knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese;	Science and Animal Husbandry duly recognised by the Veterinary Council of India; (iv) required Post-Graduate Degree qualification; (v) Thirteen years practical and administrative experience in the required field of medical relief, medical research, medical education or public health organisation in Medical or Dental or Veterinary Science and Animal Husbandry. (vi) weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under, - A. Post Graduate Degree in Dental Science or Veterinary Science and Animal Husbandry – Two Years; B. Post Graduate Degree in Medicine - Three Years.	time to time in this regard).
(iii) five years' experience in Research and Development Management to manage and coordinate science and technology related activities in the area of Project Management or Material Management or Resource Management or Organisational Development.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Scientist 'H' (Outstanding Scientist).	(a) Essential: (i) at least First division Master's Degree in Science subjects or Mathematics or Psychology or at least First division Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent; (ii) fifteen years' practical experience in research or design or development or	Not applicable.	Not exceeding fifty-four years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time in this regard).

production in the required areas;	
(iii) weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under,	
A. Post Graduate Degree in Engineering	
– Two Years.	
B. Doctorate Degree in Science or Mathematics	
- Three Years.	
C. Doctorate Degree in Engineering	
– Four Years.	
(b) Desirable:	
(i) Post Doctoral in Science or Engineering or	
Doctorate Degree in Science, Mathematics or	
Psychology or Master's Degree in Engineering or Technology or	
Metallurgy in the subject concerned;	
(ii) knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese;	
(iii) five years' experience in Research and	
Development Management to manage and coordinate science	
and technology related activities in the area of Project	
Management or Material Management or Resource	
Management or Organisational Development.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Distinguished Scientist.	Not applicable.	Not	Not applicable.
			applicable.	
9.	Scientific Adviser to	Such educational qualification and		
	Raksha Mantri and	experience as may be prescribed by		
	Chairperson, Defence	the Government but these		
	Research and	qualifications shall not be less than		
	Development	those prescribed for Scientist 'G'.		
	Organisation.			

- **Note 1:** The qualifications prescribed are relaxable at the discretion of the Government in the case of candidates otherwise well qualified in particular the qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Government is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.
- **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates other than those in the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
- **Note 3:** Officers from the Defence Services who have to be considered for induction to transfer in the service in a Civilian capacity in any of the grades mentioned above, should possess the minimum educational qualifications and experience prescribed for direct rectt. Provided further that, if on the recommendations of the Chairperson, Defence Research and Development Organisation any service course, specialised training etc., undergone by an officer is considered to be at par with those prescribed for the direct recruits, such officers may also be deemed to fulfil the minimum requirements set forth in this Schedule.
- **Note 4:** In disciplines (including specialised areas or fields), other than those mentioned in the Schedule, such professional or technical qualifications, as are approved by the Government of India for appointment to superior posts and services shall be applicable. In cases where a formal degree or diploma is not being awarded or has not been approved, the educational qualifications and experience shall be such as may be prescribed by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation.

SCHEDULE IX

[See rule 8(20), (21), (22) and (23)]

			short-term contract or Re-employment (A			
on De	on Deputation or Tenure posting) to various Group 'A' posts included in the Defence Research and Development Service.					
(1)	(2)	(3)				
S.No.	Name of post.	Essential or desirable qualification.	Service rendered in the grade.	Age-limit.		
1.	Scientist 'B'	As prescribed for direct recruitment in Schedule-VIII	(i) holding analogous posts on regular basis;	Not exceeding fifty- six years.		
2.	Scientist 'C'	As prescribed for direct recruitment in Schedule- VIII	(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years regular service in posts in Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not exceeding fifty- six years.		
3.	Scientist 'D'	As prescribed for direct recruitment in Schedule- VIII	(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with four years regular service in posts in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Not exceeding fifty- six years.		

4.	Scientist 'E'	As prescribed for direct recruitment in Schedule- VIII	(i) (ii)	holding analogous posts on regular basis; or with four years regular service in posts in Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)	Not exceeding fifty- six years.
5.	Scientist 'F'	As prescribed for direct recruitment in Schedule- VIII	(i) (ii)	holding analogous posts on regular basis; or with four years regular service in posts in Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)	Not exceeding fifty- six years.
6.	Scientist 'G'	As prescribed for direct recruitment in Schedule- VIII	(i) (ii)	holding analogous posts on regular basis; or with five years regular service in posts in Level- 13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600)	Not exceeding fifty-eight years.

Note 1: The eligibility of person holding a analogous post in the State Government or other non-Government bodies in similar pay scale or similar feeder post with specified minimum regular qualifying service, shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

SCHEDULE-X

[See rule 8(2)]

The terms and conditions of appointment of Fellows under the Fellowship Scheme of the Defence Research and Development Organisation shall be as follows, namely:-

- (i) 'Fellows' shall be selected on all India basis through an interview in the order of merit, from amongst the candidates possessing the educational qualifications and age prescribed in Schedule VIII for direct recruitment for the posts of Scientist 'B' in the disciplines of Physics, Electronics, Mechanical Engineering, Aeronautics and Computer Science or in any other disciplines as may be specified by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation. Candidates appearing for the final examination for acquiring the educational qualifications prescribed in Schedule VIII may also be considered for selection provisionally subject to the condition that their final selection, shall be subject to their acquiring the prescribed qualifications.
- (ii) The normal period of training will be one year. During the training, the 'Fellows' will be paid a consolidated stipend of one thousand two hundred rupees per month or any other amount as determined by the Government from time to time and they shall not be entitled to any other allowance. They shall be provided with Hostel accommodation during the period of training. Where such accommodation is not provided, they shall be entitled to draw House Rent Allowance only at the Government prevailing rates on the amount of Fellowship.
- (iii) On successful completion of training, the 'Fellows' may be considered for appointment as Scientist 'B' in the Defence Research and Development Service as per the provisions contained in sub-rule (2) of rule 8.
- (iv) Such appointments shall be treated as direct recruitment for all purposes. For the purpose of seniority, Scientist 'B' appointed through the "Fellowship Scheme" shall rank in block junior to all those selected for appointment as Scientist 'B' through any other method prescribed in rule 6, including those who are selected for appointed directly as Scientist 'B' earlier than the date of appointment of 'Fellow' as Scientist 'B'. The seniority of 'Fellows' among themselves shall be fixed in the order of their merit.
- (v) During the period of training, the 'Fellows' may be discharged from training at any time without notice and without assigning any reason.
- (vi) During the training the 'Fellow' are required to pass all the tests or examination which may be prescribed by the department. Those who are not able to pass such tests or examination and do not successfully complete the training, shall not be considered for appointment to the grade of Scientist 'B' of the Service.

SCHEDULE - XI (For Trainee Scientist)

[See rule 6(2)]

The terms and conditions of appointment of 'Trainee Scientist' under Trainee Scientist Scheme of Defence Research and Development Organisation shall be as follows, namely:-

- (i) 'Trainee Scientist' shall be selected on all India basis through an interview or written test and interview in the order of merit, from amongst the candidates possessing the educational qualifications and age prescribed in Schedule VIII for direct recruitment for the posts of Scientist 'B' in the Engineering or Science disciplines as specified by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation.
- (ii) The normal period of training shall not exceed six months. During the training, the 'Trainee Scientist' will be paid a consolidated remuneration as determined by the Government from time to time and they shall not be entitled to any other allowance. They shall be provided with Hostel accommodation during the period of training. Where such accommodation is not provided, they shall be entitled to draw House Rent Allowance only at the Government prevailing rates on the amount of consolidated stipend.
- (iii) During the period of training, the 'Trainee Scientist' may be discharged from training at any time without notice and without assigning any reason.
- (iv) During the training the 'Trainee Scientist' are required to pass all the tests or examination, which may be prescribed by the Department. Those who are not able to pass such tests or examination and do not successfully complete the training, shall not be considered for appointment to the grade of Scientist 'B' of the Service.
- (v) On successful completion of training, the 'Trainee Scientist' may be considered for appointment as Scientist 'B' in Defence Research and Development Service under sub-rule (2) of rule 6, subject to meeting all other administrative requirements as in the case of direct recruitees.
- (vi) Such appointments shall be treated as direct recruitment for all purposes. For the purpose of seniority, Scientist 'B' appointed through the "Trainee Scientist Scheme" shall rank en-block junior to all those selected for appointment as Scientist 'B' through any other method prescribed in rule 6, including those who are selected for appointment directly as Scientist 'B' earlier than the date of appointment of 'Trainee Scientist' as Scientist 'B'. The seniority of 'Trainee Scientist' among themselves shall be fixed in the order of their merit assigned in the selection list by the Selection Board.

SCHEDULE XII

[See rule 6(2)]

Talent Search Scheme to attract bright young Scientists in specified discipline from the Institutes of Technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering colleges and other recognised Premier Institutions or Universities.

The terms and conditions of selection of Scientist 'B' under the Talent Search Scheme of Defence Research and Development Organisation shall be as follows, namely:-

- (a) The campus selections under Talent Search Scheme shall be made from the Institutes of Technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering Colleges and other recognised Premier Institutions or Universities, as decided by Chairperson, Defence Research and Development Organisation, depending on the discipline-wise requirement of the Organisation.
- (b) Campus recruitment of Scientist 'B' shall be done from amongst the students of third year onwards of the Engineering Degree Courses in specific disciplines or final year Master of Engineering or Master of Technology (including Integrated Degree or Dual Degree) Courses of the Indian Institute of Sciences and Defence Institute of Advanced Technology, in specific disciplines.
- (c) The Candidates eligible for Campus Selection shall be within the age-limit prescribed for direct recruitment of Scientist 'B', as on 1st August of the year in which their degree will be completed.
- (d) The eligibility for Campus Selection will be at least first class or equivalent up-to the last semester or year for which results have been declared. However, in order to restrict the number of students to be interviewed the eligibility criteria may be raised.
- (e) Selection shall be made on the basis of merit through interview or written test and interview.
- (f) The selection of the candidate as Scientist 'B' under this Scheme will be provisional subject to the condition that the candidates successfully complete the course in First Class or equivalent in first attempt.

(g) On successful completion of the course, as per clause (f) above, the candidates shall be appointed a Scientist 'B' in Defence Research and Development Organisation under sub-rule (2) of rule 6, subject to meeting all other requirements as in the case of direct recruitees.

SCHEDULE XIII

[See rule 8(9)]

Counting of Leave availed by an Eligible Scientist towards minimum residency period for promotion under Flexible Complementing Scheme.

- (1) The following periods spent on various kinds of leave availed shall be counted towards minimum residency period for promotion, namely:-
 - (a) Deputation or Foreign Service to another scientific post which helps a scientist to acquire scientific experience in a diverse set up.
 - (b) Period of study leave or any other leave taken for the academic accomplishments to improve scientific knowledge.
 - (c) Maternity Leave sanctioned under sub-rule (4) of rule 13 shall be treated as duty while counting the minimum residency period for promotions under Flexible Complementing Scheme.
 - (d) Leave of a maximum period of one year sanctioned in continuation of maternity leave under sub-rule (4) of rule 13 may also be treated on par with maternity leave.
 - (e) Earned Leave for a total period of not exceeding 180 days (for three year residency period), 210 days (for four year residency period) and 240 days (for five years and above residency period) sanctioned under sub-rule (4) of rule 13.
 - (f) Child care Leave sanctioned under sub-rule (4) of rule 13.
- (2) The period spent on deputation or foreign service to a non-scientific post and the period of leave including leave on medical grounds, Extra Ordinary Leave, etc., availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period. However, relaxation up to three months in qualifying service for determining completion of laid down residency period for promotion shall be given in the case of an individual availing leave on medical grounds.

[F. No. DHRD/76102/DRDS/CR&RR/C/M/01/500/D(R&D)] HARSHA RANI, Under Secy.